Con. 3. IX.17.49
320

अंक 9
संख्या 17

बुधवार
24 अगस्त
सन् 1949 ई.

सत्यमेव जयते

भारतीय संविधान सभा

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

भारतीय संविधान सभा

बुधवार, 24 अगस्त, सन् 1949

भारतीय संविधान-सभा, कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली, में प्रातः 9 बजे, अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई।

संविधान का मसौदा—(जारी)

अनुच्छेद 292—(जारी)

*__अध्यक्ष:__ प्रोफेसर लस्कर अपना भाषण जारी रखेंगे।

*__प्रो. एन.सी. लस्कर__ (आसाम: जनरल): अध्यक्ष महोदय, कल मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि 1921 से अनुसूचित जातियों की संख्या धीरे-धीरे गिरती जा रही है। आज मैं सभा का ध्यान 1921 की जनगणना-प्रतिवेदन के अंक 3 के भाग 1 की ओर आकृष्ट करता हूं। उस प्रतिवेदन के पृष्ठ 154 पर एक तालिका दी हुई है, जिसमें दिखाया है कि 1991 से जातियों, आदिमजातियों आदि की जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुए हैं। इस तालिका से मैं कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा, जिनसे, यह स्पष्ट हो जायेगा कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या धीरे-धीरे गिरती जा रही है।

पटनी जाति की जनसंख्या 1911 में 1,11,000 थी पटनी जाति की जनसंख्या 1921 में 45,000 थी। नंदियाल जाति की जनसंख्या 1911 में 68,000 थी। नंदियाल जाति की जनसंख्या 1921 में 18,000 थी। राजबंसी जाति की जनसंख्या (यह जाति बंगाल में अनुसूचित जाति समझी जाती है) 1911 में 1,33,000 थी। राजबंसी जाति की जनसंख्या (यह जाति बंगाल में अनुसूचित जाति समझी जाती है) 1921 में 92,000 थी।

अब मैं सभा का ध्यान 1931 के जनगणना-प्रतिवेदन के अंक 3 के भाग 1 के पृष्ठ 219 की ओर आकृष्ट करता हूं, जिसमें कहा गया है कि:

> "बाहरी जातियों की, अर्थात् सिलहट की अनुसूचित जातियों की कुछ जनसंख्या इस प्रकार कम से कम 3,92,000 है और कछार में यह जनसंख्या 80,000 है और पूरी सूरमा घाटी में यह जनसंख्या कम से कम 4,72,000 है। आसाम और सूरमा घाटी में यह जनसंख्या कुल मिलाकर 6,55,000 है, जबकि सारे प्रान्त में यह जनसंख्या 6,57,000 है।"

[प्रो. एन.सी. लस्कर]

इस प्रतिवेदन के इस पृष्ठ पर जनगणना के अधीक्षक ने पटनी समुदाय के सम्बन्ध में कुछ लिखा भी है। वे कहते हैं: 'कछार जिले की जनसंख्या केवल 9,000 दिखाई गई है, किन्तु ठीक जनसंख्या कम से कम 40,000 हैं। सिलहट के पटनी समुदाय के लोगों की जनसंख्या केवल 43,000 दिखाई गई है जबकि उनकी जनसंख्या कम से कम 70,000 है। सारे प्रान्त की अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 6,57,000 है।"

1921 में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 12 लाख थी। इसके पश्चात् 1931 में बहुत अन्तर पड़ गया। यह अन्तर इसलिये पड़ गया कि 1921 में बंगाल मजदूर अनुसूचित जातियों के वर्ग में रखे गये थे किन्तु 1931 में वे इस वर्ग से अलग कर दिये गये और एक अलग जाति में, अर्थात् बगान कुली जाति में, रखे गये। इसी कारण 1931 की जनगणना में अनुसूचित जातियों की जनंसख्या बारह लाख से साढ़े छ: लाख हो गई, प्रतिवेदन के अनुच्छेद 155 में, जिसमें जातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध से कठिनाइयों का वर्णन है। जनगणना के अधीक्षक ने कहा है: "मैं इसे स्वीकार करता हूं कि कायस्थ, महिसभा और पटनी जातियों के सम्बन्ध में जो आंकड़ें हैं, वे बेकार हैं और उन्हें संग्रह करना निरर्थक है"। उसी पृष्ठ पर वे यह भी कहते हैं: "सूरमा घाटी की पटनी जैसी जातियों के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि प्रत्येक जनगणना में उनकी जनसंख्या बड़े अद्‌भुत ढंग से कम होती जा रही है"। इससे स्पष्ट हो जाता है। कि 1931 की जनगणना में अनुसूचित जातियों के लोगों के सही आंकड़े नहीं दिये जा सके और उससे यही भी स्पष्ट हो जाता है कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या धीरे-धीरे कम हो रही हैं।

श्रीमान, आखिर उनकी जनसंख्या घटने के क्या कारण रहे हैं? उसके दो कारण रहे हैं। पहला कारण यह है कि 1911 से 1931 तक अनुसूचित जातियों के लोग ब्रिटिश सरकार की फूट डालकर शासन करने की नीति को, साइमन आयोग के पंचाट को तथा 1935 के भारत-शासन अधिनियम के उपबन्धों को नहीं समझ सके। इसलिये उनमें जातियों को मिटाकर अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने की प्रवृत्ति रही। दूसरा कारण यह रहा कि उनमें अपनी जातियों के नाम बदलकर अपना सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने की प्रवृत्ति रही। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अनुसूचित जातियों ने अपने समुदाय से भिन्न समुदायों के नेताओं तथा पुराणों अथवा शास्त्रों का सहारा लिया। इन नेताओं ने इन लोगों को केवल नाम मात्र के लिये ही सवर्ण हिन्दू बनाया। वे उन्हें अस्पृश्यता से मुक्त नहीं कर सके। इन्हीं कारणों से अनुसूचित जातियों की जनसंख्या घटती गई है।

इसके अतिरिक्त मैं सभा का ध्यान बगान मजदूरों की स्थिति की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं। 1911 की जनगणना के आंकड़ों से पता लगता है कि उस समय बगान मजदूरों की संख्या 5,07,058 थी। उनमें से अधिकांश अनुसूचित जातियों के ही लोग थे। मैं 1921 के जनगणना-प्रतिवेदन के अंक 3 के भाग 1 के पृष्ठ 73 पर दिये हुए अनुच्छेद 73 की ओर निर्देश करता हूं, जिसमें यह कहा गया है कि बगान मजदूरों की कुल संख्या 9,22,000 है, जिन में से 7,92,000 से

अधिक अथवा 95 प्रतिशत हिन्दू हैं। (देखिये 1921 का जनगणना-प्रतिवेदन, अंक 3, भाग 1, पृष्ठ 222)। "ये बगान मजदूर बगान कुली जातियों के लोग माने गये और प्रतिवेदन में उनकी जनसंख्या 14 लाख दिखाई गई, जिनमें से 13,16,000 हिन्दू थे"। 1941 की जनगणना के समय इन बगान कुली वर्गों के स्तर में परिवर्तन हो गया था और ये बगान आदिम जातियों के नाम से कहे जाने लगे थे। वे अनुसूचित आदिजातियों में सम्मिलित किये गये और इस कारण अनुसूचित आदिमजातियों की जनसंख्या 16 लाख से बढ़कर 28 लाख हो गई। इस प्रकार बगान मजदूरों का स्तर धीरे-धीरे बदलता रहा। 1921 तक वे अनुसूचित जातियों में सम्मिलित रहे और 1931 में उन्हें बगान कुली वर्ग में सम्मिलित करके उनका स्तर ऊंचा उठा दिया गया और 1941 में वे बगान आदि जातियों के लोग कहे जाने लगे।

सौभाग्य से अब उनमें से नौ लाख लोग सामान्य लोग, अर्थात् सवर्ण हिन्दू कहे जायेंगे। यदि हम इस पर विचार करें कि बगान मजदूरों की 11,34,000 की संख्या में से (देखिये 1941 का जनगणना-प्रतिवेदन) 80 प्रतिशत हिन्दू समुदाय में सम्मिलित कर लिये जायेंगे, तो उनमें से हिन्दुओं की कुल संख्या 10 लाख होगी। मेरी यह प्रबल धारणा है कि इन हिन्दू बगान-कुलियों में से 80 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के हैं। इस प्रकार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, बगान मजदूरों को मिलाकर, आठ लाख बढ़ जाती है। यदि हम इस संख्या को 1941 की जनगणना के अनुसूचित जातियों के आंकड़ों में जोड़ दें, तो मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि 1941 की जनगणना के अनुसार भी अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 11 लाख होगी। इसलिये यदि निर्वाचन के पूर्व सच्ची जनगणना की गई, तो मैं सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि आसाम की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 11 से 12 लाख तक निकलेगी।

देश के विभाजन के पूर्व आसाम की अनुसूचित जातियों को संविधान-सभा में एक स्थान दिया गया था। विभाजन के पश्चात् भी आसाम की विधान-सभा ने इस समुदाय के प्रति असाधारण उदारता दिखाई और उसे संविधान-सभा में एक स्थान दिया गया।

***अध्यक्षः** क्या आपका तर्क यह है कि चूंकि उनकी जनसंख्या 11 लाख है, इसलिये स्थान सुरक्षित नहीं रखने चाहिये?

***प्रो. एन.सी. लस्करः** वे सुरक्षित रखे जाने चाहिये, किन्तु मुझे कुछ बातों के सम्बन्ध में सन्देह है और मैं उनका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

***अध्यक्षः** आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनके लिये इस कारण स्थान सुरक्षित न रखे जायें कि उनकी जनसंख्या प्रान्त में ग्यारह या बारह लाख है?

***प्रो. एन.सी. लस्करः** मैं यह कहना चाहता हूं कि 1941 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या लगभग 4 लाख है। मुझे इस सम्बन्ध में बहुत संदेह है कि इनको लोक सभा में कोई स्थान मिल सकता है या नहीं। इसलिये अपने संशोधन द्वारा मैंने यह प्रस्ताव किया है कि आसाम की अनुसूचित जातियों के लिये अपवाद रखा जाये, ताकि उन्हें लोक सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

***अध्यक्षः** उनकी जनसंख्या के अनुपात से ही उनके लिये स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे।

***प्रो. एन.सी. लस्करः** मैं सभा के सम्मुख यह सिद्ध कर चुका हूं कि 1941 की जनगणना के आंकड़े सही नहीं हैं। मैं यह मांग करता हूं कि निर्वाचन के पूर्व नियमित रूप से एक जनगणना हो और यदि वह न हो सके, तो इस समुदाय के लिये कुछ अपवाद किये जाये। देश का विभाजन होने पर भी संविधान सभा में एक स्थान देने के लिये मैं आसाम के माननीय प्रधान मंत्री और आसाम की विधान सभा की कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी का आभारी हूं। मेरी यह धारणा है कि उन्होंने यह अनुभव किया कि आसाम में अनुसूचित जातियों की वास्तविक जनसंख्या क्या है और इसलिये उन्हें संविधान सभा में एक स्थान प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त, श्रीमान, डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में कहा गया है कि:

"अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये किसी राज्य में रक्षित रखे गये स्थानों की संख्या का अनुपात उस राज्य को बांट में दिये गये स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो... उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा अनुसूचित आदिमजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।"

"यथाशक्य" शब्द को प्रविष्ट करने से मेरा सन्देह दूर नहीं होता। "यथाशक्य" शब्द का अर्थ अस्पष्ट है। निर्वाचन आयोग इस प्रकार का एक साधारण सूत्र निश्चित कर सकता है कि "जिस समुदाय की जनसंख्या 4,50,000 से कम हो, उसे बांट में कोई स्थान न दिया जाये।" इस प्रकार हमें लोक सभा में कोई भी स्थान नहीं मिलगी। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इन अनुच्छेद के उपबन्धों में किसी प्रकार का अपवाद होना चाहिये।

मैंने अपने संशोधन में जो भाषा प्रयोग की है, वह मेरी अपनी भाषा नहीं है। वह मसौदा समिति की भाषा है। केवल मैंने ही अपवाद की मांग नहीं की है। अन्य समुदायों के लिये अपवाद किये जा चुके हैं। अनुच्छेद 293 द्वारा आग्ल-भारतीय समुदाय के लिये कुछ अपवाद किये जा रहे हैं और अनुच्छेद 149 के द्वारा आसाम के शिलौंग निर्वाचन-क्षेत्रों के आदिम-जाति क्षेत्रों के लोगों के लिये भी कुछ अपवाद किये जा रहे हैं। अनुच्छेद 149 के खंड (3) में कहा गया है:

"किसी राज्य की विधान सभा में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस निर्वाचन क्षेत्र की अन्तिम पूर्ववत जनगणना में, जिसके तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या के आधार पर होगा, तथा आसाम के स्वायत्त जिलों को तथा शिलौंग के नगर-क्षेत्र व कटक से मिलकर बने निर्वाचन क्षेत्र को मोड़कर यह प्रतिनिधित्व जनसंख्या के प्रत्येक पचहत्तर हजार के लिये एक से अधिक प्रतिनिधि के अनुपात से होगा।"

शिलौंग के निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 12,000 है। इस संविधान के उपबन्धों के अधीन इस शिलौंग निर्वाचन-क्षेत्र के सम्बन्ध में भी अपवाद किया जा रहा और इसलिये मैं समझता हूं कि अपने संशोधन द्वारा मैंने जो मांग की है, वह कोई अनुचित मांग नहीं है।

मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आसाम के कछार जिले की वर्तमान स्थिति का वर्णन करूं। इस जिले में आसाम की अनुसूचित जातियों के लोगों में से एक-तिहाई लोग बसते हैं। यह क्षेत्र रैडक्लिफ के निर्णय के अधीन पाकिस्तान के अधिकार में चले जाने से बच ही गया। मैं भी इसी क्षेत्र का निवासी हूं। देश के विभाजन के पश्चात् इस जिले की कुल जजसंख्या 10,24,581 रह गई। इसमें से अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1,17,205 है, हिन्दुओं की जनसंख्या 2,82,646 और मुसलमानों की जनसंख्या 4,34,205 है। इनके अतिरिक्त शरणार्थी भी हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान से आसाम चले आये हैं। उनकी कुल जनसंख्या लगभग 55,000 होगी। इस जिले में मुसलमान भी चले आये हैं, उनकी जनसंख्या भी इससे कम नहीं है।

अब मैं कछार जिले के बड़े-बड़े समुदायों की वर्तमान स्थिति का वर्णन करूंगा। पहले मैं हिन्दुओं की स्थिति का वर्णन करूंगा। वहां के स्वर्ण हिन्दुओं में से लगभग 50 प्रतिशत अछूत हैं। वे मुख्यतः मनीपुरी और नाथ समुदायों के हैं। मेरे जिले में कुछ साम्यवादी भी हैं। विधान सभा के पिछले निर्वाचन में इस जिले के साम्यवादी उम्मीदवार ने सारे भारत के साम्यवादी उम्मीदवारों से अधिक मत पाये। इस कारण मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे जिले में साम्यवादी आन्दोलन समाप्त हो गया है। मेरे जिले के मुस्लिम समुदाय के कुछ प्रतिक्रियावादी लोगों ने भी कुछ दंगा-फिसाद किया है। महात्मा जी की हत्या के बारहवें दिन छोटे-छोटे बच्चों ने शान्तिपूर्वक एक जलूस निकाला। उस पर कुछ मुसलमानों ने लाठियां चलाईं। इन लोगों को न्यायालय में दोषसिद्ध करार दिया गया। मेरे जिले में देश-विभाजन के पश्चात् एक अन्य घटना भी हुई। काली के मन्दिर के सामने हिन्दुओं की भूमि पर एक गाय का वध किया गया। अपराधियों को पकड़ लिया गया और न्यायालय में मुकदमा चला तथा वे लोग दोषसिद्ध करार दिये गये। इससे, श्रीमान, यह समझ में आ सकता है कि मेरे जिले में कुछ मुसलमान विध्वंसकारी भी हैं। अनुसूचित जातियों में कुछ लोग श्री जे.एन. मंडल के भी अनुयायी हैं। देश विभाजन के पश्चात् आसाम अनुसूचित-जाति संघ का अध्यक्ष सीमा-आयोग के सम्मुख एक ज्ञापन लेकर उपस्थित हुआ था, जिसमें कछार को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की मांग की गई थी। जनमत-संग्रह के पूर्व, सिलहट जिले के श्री जे.एन. मंडल, जो अब पाकिस्तान सरकार के एक माननीय मंत्री हैं, अनुसूचित-जाति संघ द्वारा आमंत्रित किये गये थे और एक सभा में उन्होंने प्रार्थना की थी कि अनुसूचित जातियों के लोगों को पाकिस्तापन के पक्ष में मत देना चाहिये।

किन्तु पिछले निर्वाचन में आसाम की कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों के सभी स्थान प्राप्त कर लिये। प्रत्येक स्थान के लिये अनुसूचित जाति संघ ने चुनाव लड़ा था, परन्तु वह कांग्रेस द्वारा बुरी तरह हरा दिया गया। मैं कह नहीं सकता कि

[प्रो. एन.सी. लस्कर]

कहीं डॉ. अम्बेडकर को आसाम की अनुसूचित जातियों के प्रति कोई द्वेष तो नहीं है। यदि वह किसी प्रकार का द्वेष रखते हैं, तो मुझे आशा है कि वे उसे दूर कर देंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उन्हें अनुसूचित जातियों से मुझसे से मुझसे अधिक प्रेम है। उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिये बहुत काम किया है और मुझे आशा है कि वे उनके लिये और भी अधिक काम करेंगे। इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें। यदि आसाम की अनुसूचित जातियों के लोगों को कुछ विशेषाधिकार नहीं दिये गये, तो लोग कुछ प्रतिक्रियावादी समूहों के हाथ में पड़ जायेंगे। इसलिये आसाम की भोगोलिक और राजनैतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा सैनिक दृष्टि से भी, मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये। इन शब्दों के साथ, श्रीमान, मैं अपना संशोधन उपस्थित करता हूं।

***श्री जसपतराय कपूर** (संयुक्त प्रान्त: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"उपरोक्त संशोधन संख्या 22 में प्रस्तावित अनुच्छेद 292 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाये:—

'Provided that the constituencies for the seats reserved for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall comprise so far as possible, such contiguous areas where they are comparatively more numerous than in other areas.

(परन्तु अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थानों के निर्वाचलन क्षेत्रों में यथाशक्य ऐसे मिले-जुले क्षेत्र होंगे, जिनमें उनकी जनसंख्या अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होगी।)' "

यदि सभा को यह स्वीकार्य प्रतीत न हो, तो मेरा यह प्रस्ताव है कि विकल्पत: निम्नलिखित परन्तुक स्वीकार किया जाये:—

"Provided that reserved seats shall be allotted to such constituencies as contain comparatively larger number of Scheduled Castes or Scheduled Tribes members than in other constituencies.

(परन्तु रक्षित स्थान बांट में ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को दिये जायेंगे, जिनमें अन्य निर्वाचन क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या अधिक हो।)"

श्रीमान, मुझे विश्वास है कि आज माननीय डॉ. अम्बेडकर ने जो संशोधन उपस्थित किया है, उस पर इस सभा का प्रत्येक सदस्य बहुत प्रसन्न है। अपने

संशोधन द्वारा वह अनुछेद 292 के 14 पुराने मसौदे के स्थान पर नया मसौदा रख रहे हैं। यह संशोधन उन थोड़े से संशोधनों में से है, जिनसे देश का बहुत हितसाधन होगा। इस देश के बहुसंख्यक समुदाय और विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के बीच अल्पसंख्यक समिति में जो करार हुआ है उसी के आधार पर इस संशोधन का मसौदा तैयार किया गया है। उस करार के अधीन हमारे मुसलमान तथा ईसाई मित्र तथा सिख भाई इसके लिये तैयार हो गये कि विभिन्न विधान-मंडलों में उनके लिये स्थान रक्षित न रखे जायें। देश के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह बुद्धिमत्तापूर्ण और साहसपूर्ण निर्णय किया और इस अवसर पर मैं उन सबको बधाई देता हूं। मैं विशेषत: मुसलमान भाइयों को बधाई देता हूं, क्योंकि कई वर्षों से उन्हें पृथक निर्वाचन-मंडल और पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त रहा है और वे यह सोचने लगे थे कि उनका हितसाधन इसी प्रकार हो सकता है और बिना पृथक निर्वाचन-मंडलों और पृथक प्रतिनिधित्व के वे अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकते। हम यह जानते थे कि वे गलती कर रहे हैं, किन्तु ब्रिटिश सरकार की चालों से यह बात उनके मस्तिष्क में घर कर गई थी और पृथक प्रतिनिधित्व के औचित्य के सम्बन्ध में उन्हें पूर्ण विश्वास था। यह हमारे लिये तथा देश के लिये एक सौभाग्य की बात है कि वे अब यह समझ गये हैं कि इस प्रकार की प्रणाली से उनका हितसाधन नहीं हो सकता। इस बुद्धिमत्तापूर्ण तथा साहसपूर्ण निर्णय के लिये मैं उन्हें एक बार और बधाई देता हूं। अब उन्होंने अपने हितों की रक्षा करने का भार बहुसंख्यक समुदायों के कंधों में डाल दिया है और अब बहुसंख्यक समुदाय को ही अपने कार्यों तथा अपने चलन से तथा मुसलमान भाइयों के प्रति अपने व्यवहार से यह दिखाना है और उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि पहले वे गलत रास्ते पर थे और अब सही रास्ते पर हैं और अपने को पृथक समुदाय के लोग न समझकर ही उनके हित सुरक्षित रह सकते हैं और उनके हित वहीं हैं, जो बहुसंख्यक समुदाय के और अन्य समुदायों के हैं और वास्तव में प्रत्येक नागरिक का हितसाधन सारे देश के हितसाधन से हो सकता है।

बहुसंख्यक समुदाय अब यह समझने लगा है कि उसका अब कितना अधिक उत्तरदायित्व हो गया है। मैं ऐसे कई स्थानों के उदाहरण दे सकता हूं जहां बहुसंख्यक समुदाय के लोग अब अपने उत्तरायित्व को समझने लगे हैं। मैं यह चाहता हूं कि अब बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय की चर्चा न की जाये। मुझे विश्वास है कि इस अनुच्छेद के संविधान में स्थान पाने तथा संविधान के प्रवर्त्तन में आने के पश्चात् हम बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदायों को भूल जायेंगे। हम इनकी जितनी अधिक चर्चा करेंगे उतना ही अधिक हम लोगों को यह स्मरण करायेंगे कि हमारे देश में एक राष्ट्र नहीं है बल्कि विभिन्न हितों वाले विभिन्न समुदाय हैं। मैंने यह प्राय: देखा है कि जब हम सभाओं में भाषण देते हैं तो हम कहते हैं 'हिन्दू और मुसलमान भाइयों और जब हम उनसे यह अनुरोध करते हैं कि हिन्दू, मुसलमान और ईसाइयों को एक हो जाना चाहिये तो हम उन्हें यह स्मरण कराते हैं कि वे विभिन्न समुदायों के लोग हैं और उनके एक होने की आवश्यकता है। अच्छा यह होगा कि हम अपनी सभाओं में तथा अपने प्रकाशनों में हिन्दू, मुसलमान और ईसाइयों के रूप में लोगों की चर्चा न करें। बहुसंख्यक

[श्री जसपतराय कपूर]

समुदाय के लोग यह समझने लगे हैं कि मुसलमान भाइयों ने उनका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ा दिया है। मैं यह कहूंगा कि उन्होंने अब अपने को हमारी दया पर छोड़ दिया है और इसलिये अब हमारा मुसलमान भाइयों के प्रति तथा उनसे अधिक अपने प्रति यह कर्त्तव्य है कि हम अपने आचरण से तथा कार्यों से यह सिद्ध करें कि हम विश्वासघात न करेंगे और उन्होंने जो निश्चय किया है वह गलत निश्चय नहीं है और उससे उनको लाभ ही होगा। बहुसंख्यक समुदाय इसके लिये विशेष प्रयास करने जा रहा है कि नगर-क्षेत्रों तथा अन्य स्थानों में थोड़े समय के पश्चात जो निर्वाचन होने जा रहे हैं उनमें से कुछ में मुसलमान अपनी जनसंख्या के अनुपात से ही नहीं बल्कि यदि सम्भव हो तो कुछ अधिक संख्या में निर्वाचित हों।

इसमें सन्देह नहीं कि यह कोई सरल कार्य नहीं है। देश विभाजन के पूर्व इसे सरलता से सम्पन्न किया जा सकता था। देश के विभाजन के फलस्वरूप यह कार्य कठिन हो गया है क्योंकि पृथक निर्वाचन-मंडलों और पृथक प्रतिनिधित्व के कारण ही देश का विभाजन हुआ। हमारे राजनैतिक जीवन में इस धुन के लगने से देश का जिस प्रकार विभाजन हुआ और उसके पश्चात् जो दु:खद घटनाएं घटित हुई उनकी कटु स्मृतियां लोगों के मास्तिष्क में बनी हुई हैं और उन्हें मिटाने में कुछ समय अवश्य लगेगा। किन्तु बहुसंख्यक समुदाय के सभी उत्तरदायी लोग अब इसे अच्छी प्रकार समझते हैं कि उन्हें किस उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है और वे इसके लिये कार्यशील हैं कि आगामी निर्वाचनों में मुसलमान भाइयों के हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था हो।

मैं अपने ईसाई मित्रों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने भी स्थान रक्षित रखने अथवा पृथक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की। पहले भी ईसाइयों ने शायद ही कभी पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की हो। वे हमेशा राष्ट्रीयता के गहरे रंग में रंगे में रंगे रहे किन्तु जब संविधान का मसौदा तैयार किया जाने लगा, उनमें से कुछ ने यह विचार किया कि चूंकि मुसलमान, अनुसूचित जातियां और सिख भी तथा सम्भवत: पारसी भी कुछ पृथक स्थान रक्षित करवाने की बात सोच रहे हैं तो वे भी इस अवसर से लाभ क्यों न उठायें और विधान-मंडलों में कुछ स्थानों की मांग क्यों न करें। यह प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने यह निश्चय छोड़ दिया यद्यपि मैं यह जानता हूं कि उन्होंने कभी भी गम्भीरता से अपनी यह मांग उपस्थित नहीं की। इसका बहुत कुछ श्रेय मेरे माननीय तथा आदरणीय मित्र डॉ. एच.सी. मुकर्जी को है, जिन्होंने, श्रीमान, आपकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष पद सुशोभित किया था। यह जानकर मेरे हृदय में डॉ. एच.सी. मुकर्जी के प्रति बहुत प्रेम और श्रद्धा उमड़ आई। मैं यह जानता हूं कि अपने समुदाय को इसके लिये राजी करने में तथा अन्य समुदायों को जगहें रक्षित रखने की मांग त्यागने के लिये राजी करने में उन्होंने बहुत परिश्रम किया और यदि वे अनुसूचित जातियों के लोगों को इसके लिये राजी करने में सफल नहीं हुए हैं तो दोष उनका नहीं है।

डॉ. मुकर्जी की चर्चा करते हुये मैं अपने मित्र श्री सिधवा का विस्मरण नहीं कर सकता। वे सम्भवत: यह सोच रहे हों कि मैंने उनको कैसे भुला दिया परन्तु वास्तव में मैं उनको नहीं भूला हूं। मैं यह सोच रहा था कि मैं उन्हें अन्त में बधाई दूंगा और केवल उन्हीं को नहीं बल्कि उनके महान पारसी समुदाय को भी बधाई दूंगा। स्थान रक्षित रखने की मांग की बात तो दूर रही उस समुदाय ने उसके विषय में कभी सोचा भी नहीं। उस समुदाय ने देश के सामने एक उदाहरण रखा है। पारसी समुदाय न तो बहुसंख्यक समुदाय है और न अल्पसंख्यक समुदाय है। मैं यह कहूंगा कि वह समुदाय शैशवावस्था में है और यद्यपि कोई शिशु विशेष व्यवहार और विशेष लालन-पालन की मांग कर सकता है किन्तु इस शिशु-समुदाय ने कभी विशेष रक्षण की बात सोची तक नहीं। इसका परिणाम क्या हुआ है? हम देखते हैं कि पारसियों का प्रतिनिधित्व होता है और केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं होता बल्कि इस देश में उनकी थोड़ी सी संख्या को देखते हुए उनका बहुत अधिक प्रतिनिधित्व होता है और वह केवल विधान-मंडलों में ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह सामाजिक हो अथवा औद्योगिक, और चाहे वह वाणिज्यिक हो अथवा बैंक विषयक। वे हमेशा देशभक्त रहे हैं और उन्होंने देश के सामने एक उदाहरण रखा है। इस अवसर पर मैं स्वर्गीय श्री दादाभाई नारौजी, स्वर्गीय सर फिरोजशाह मेहता, स्वर्गीय श्री दिनशा वाचा आदि की पवित्र नामावली नहीं भुला सकता। इनके नामों का उल्लेख देश के इतिहास में आधुनिक भारत के निर्माताओं तथा स्वातंत्र्य के अग्रदूतों के रूप में रहेगा। मैं आदरपूर्वक नतमस्तक होकर उनके पुनीत नामों का स्मरण करता हूं। इस देश में इस शिशु-समुदाय ने हमेशा जिस देशभक्ति का परिचय दिया है उसकी मैं हृदय से सराहना करता हूं तथा इस समुदाय को बधाई देता हूं।

श्रीमान, अन्त में मैं अपने सिख भाइयों के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं। अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के समान ही निश्चय करने के लिये उन्हें भी बधाई देने की आवश्यकता है। वास्तव में सिख भाइयों को यह सोचना भी न चाहिये था कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वे हमेशा से हिन्दू समुदाय के ही अंग रहे हैं। वे कुछ सरकारी पदों और विधान-मंडलों में कुछ स्थानों के ही प्रलोभन में आ गये और पृथक प्रतिनिधित्व की मांग करने लगे। मेरा कोई सिख मित्र चाहे इसके विरोध में कुछ भी कहे, किन्तु मेरा यह कहना है कि वे हमेशा हिन्दू समुदाय के ही अंग रहे। हिन्दुओं और सिखों में हमेशा खान-पान ब्याह-शाही होती रही है यद्यपि जब से सिख भाई यह कहने लगे हैं कि वे हिन्दुओं से पृथक हैं, ये ब्याह शादियां कुछ कम हो गई हैं। मुझे आशा है कि वे अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे और एक दिन वह आयेगा जब हम उन्हें इसके लिये बधाई देंगे। हमारे सिख भाई हिन्दू समुदाय के हमेशा अंग ही नहीं रहे बल्कि हिन्दुओं तथा देश की रक्षा के लिये हमेशा तलवार खींचे रहे। अब हम हिन्दू, मुसलमान, सिख आदि नामों को भुलाने जा रहे हैं, किन्तु हमें विश्वास है कि सिख देश की रक्षा के लिये अब भी तलवार खींचे रहेंगे। देश की रक्षा के लिये तथा हमारी सीमाओं से शत्रु को दूर रखने के लिये हमें भरोसा है कि वे कटिबद्ध रहेंगे।

[श्री जसपतराय कपूर]

श्रीमान, मैं यह चाहता था कि मैं अनुसूचित जातियां के मित्रों को भी इसी तरह बधाई दे सकता किन्तु दुर्भाग्य से अभी इसका अवसर नहीं आया है। उनका अब भी यह विचार है कि अभी वे उस मार्ग का अवलम्बन नहीं कर सकते जिसे देश के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने अपनाया है। सिखों के समान अनुसूचित जातियों के लोग भी किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं हैं और न वे हिन्दुओं से पृथक ही हैं। वे उन्हें के अंग हैं। वे यह क्यों सोचते हैं कि वे अवशिष्ट हिन्दू समुदाय से पृथक हैं? हम उन पर अपने निर्णय तथा अपने विचारों को नहीं थोपना चाहते। कुछ समय के पश्चात् वे स्वयं ही समझ जायेंगे कि स्थान सुरक्षित रखने की मांग करके उन्होंने ठीक कदम नहीं उठाया है। साथ ही देश के अन्य समुदायों को अपने आचरण से थोड़े समय में ही अनुसूचित जातियों के लोगों को यह विश्वास दिला देना चाहिये कि उनके हित भारत के अन्य लोगों के हाथों में उसी प्रकार सुरक्षित हैं जैसे कि वे उनके अपने हाथों में सुरक्षित हैं। इसलिये भारत के अवशिष्ट लोगों को अनुसूचित जातियों के लोगों के मस्तिष्क से इस भय को दूर करने के लिये ठोस प्रयत्न करने चाहिये ताकि दस वर्ष के पूर्व ही वे लोग स्वयं यह कहें कि उनके लिये स्थान रक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे संशोधन का लक्ष्य भी यही है। अभी चूंकि उन्होंने स्थान रक्षित रखने की मांग की है इसलिये हमें उनके लिये उन्हें रक्षित रखना ही चाहिये। हमें उनके लिये स्थान रक्षित ही न रखने चाहिये किन्तु ऐसे उपबन्धों को भी रख देना चाहिये जिनके फलस्वरूप उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये और उन्हें संतोष हो जाये। मैंने अपने संशोधन द्वारा यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के लिये जो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित रखे जायें वे इस प्रकार के हों कि उनमें अनुसूचित जातियों के मतदाताओं की संख्या अन्य निर्वाचन क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हो, ताकि वे विधान-मंडलों में ऐसे लोगों को भेज सकें जो उनके विश्वास भाजन हों। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लोग अधिक हुये तो वे अपनी पसंद के सदस्य को निर्वाचित कर सकेंगे। उम्मीदवारों के चुनाव में उनका मत निर्णायक यदि न भी हो तो कम से कम उनकी आवाज सशक्त अवश्य होनी चाहिये। मैंने इसी उद्देश्य से इस संशोधन को उपस्थित किया है।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहूंगा कि इसका निर्णय अनुसूचित जातियों के लोग स्वयं करें कि मेरे संशोधन से उन्हें लाभ होगा या नहीं। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मैं उनके सामने यह सुझाव रखूं कि इसे स्वीकार कर लिया जाये क्योंकि, मेरे विचार से, इससे उनका हितसाधन होगा। उनका जिसे हिसाधन होता है उसी से देश के अन्य समुदायों का भी हितसाधन होता है। यदि वे यह समझते हैं कि इस संशोधन से उन्हें कुछ लाभ न होगा और कुछ हानि होने की सम्भावना है तो मैं उसे तुरन्त वापिस ले लूंगा क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपने किसी ऐसे संशोधन पर मत लेने के लिये जोर दूं, जो भले ही उनके हितों की रक्षा

के उद्देश्य से उपस्थित किया गया हो किन्तु उन्हें नापसन्द हो। इन शब्दों के साथ, श्रीमान, मैं इस संशोधन को सभा के विचारार्थ उपस्थित करता हूं अथवा यूं कहना चाहिये कि विशेषत: अनुसूचित जातियों के अपने मित्रों के विचारार्थ करता हूं, परन्तु यदि यह उन्हें नासपन्द है तो इस पर मत न लिया जाये।

*__अध्यक्ष:__ मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि इस समय हम जिन अनुच्छेदों पर विचार कर रहे हैं उनमें दो दिन की बहस के फलस्वरूप हमने जो निर्णय किये हैं वे सन्निहित हैं और इसलिये उसी बहस को फिर छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। सदस्य महोदय अपनी चर्चा को संशोधनों तक ही समिति रखें। यदि उनका भिन्न मत हो तो वे उसे वक्त कर सकते हैं किन्तु दो दिन की बहस में हम जिन तर्कों को उपस्थित कर चुके हैं उन्हें अब न दुहरायें।

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर__ (बम्बई: जनरल): मैं यह सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं कि रेवरेंड निकोल्स राय के नाम से जो संशोधन है उसका उस निर्वाचन-विषयक खंड से अधिक सम्बन्ध है जिसमें अनुसूचित जातियों और आदिम-जातियों की परिभाषा की जायेगी। यदि मेरे मित्र उस संशोधन को उपस्थित करना ही चाहते हैं तो वह उस समय तक स्थगित रखा जाये जब तक हम संविधान के तत्सम्बन्धी भाग को, अर्थात् अनुच्छेद 303 को, न उठायें।

*__अध्यक्ष:__ क्या आप डॉ. अम्बेडकर का आशय समझ गये हैं?

*__माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकल्स राय:__ (आसाम: जनरल): जी हां, मैं समझ गया हूं। मेरा संशोधन उस संशोधन पर अर्थात् संशोधन संख्या 3108 पर आधृत है जिसे श्री ठक्कर उपस्थित करने वाले हैं। किन्तु मैं यह देखता हूं कि वे जिस संशोधन (अर्थात् जिस संशोधन संख्या 28) को उपस्थित करने जा रहे हैं उसका स्वरूप ही भिन्न है। यदि श्री ठक्कर इस संशोधन को उपस्थित नहीं कर रहे हैं तो मैं भी अपने संशोधन को अभी उपस्थित नहीं करूंगा किन्तु अनुच्छेद 303 के अधीन जिस समय इस विषय की चर्चा होगी उस समय मैं अपने संशोधन को उपस्थित करूंगा।

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:__ मेरा भी यही सुझाव है कि जो संशोधन श्री ठक्कर के नाम से है वे स्थगित रखे जायें और उन पर उसी समय विचार किया जाये जब हम अनुच्छेद 303 को उठायें।

*__माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकल्स राय:__ यदि श्री ठक्कर इसके लिये सहमत हैं तो मैं भी सहमत हो जाऊंगा।

*__श्री ए.बी. ठक्कर:__ (सौराष्ट्र): मैं पूर्णतया सहमत हूं।

*__अध्यक्ष:__ तब दोनों संशोधन स्थगित रखे जाते हैं।

***सरदार हुकम सिंहः** (पूर्वी पंजाबः सिख): श्रीमान, मैं संशोधन संख्या 29 से 31 तक उपस्थित नहीं कर रहा हूं। मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 22 में प्रस्तावित अनुच्छेद 292 के अन्त में निम्नलिखित व्याख्या जोड़ दी जायेः

'*Explanation.*—The member of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes mentioned in sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (1) above shall have the right to contest unreserved seats as well.

(व्याख्या.—उपरोक्त खण्ड (1) के उपखण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को आरक्षित स्थानों के लिये भी खड़े होने का अधिकार होगा।)' "

आरम्भ में ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन में प्रस्थापित व्याख्या में कोई नवीन विचार सन्निहित नहीं है। यह अल्पसंख्यक मंत्रणा समिति की भी एक सिफारिश थी और वह सिफारिश इस सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सभा के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी और उस पर इस सभा ने 27 और 28 अगस्त 1947 को विचार करके स्वीकार भी कर लिया था। मेरे विचार से वह एक उपयुक्त उपबन्ध था। मैं कह नहीं सकता कि उसे इस मसौदे से क्यों निकाल दिया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब मूल मसौदे को संविधान सभा के सम्मुख उपस्थित किया गया था तो स्थिति भिन्न थी और धर्म पर आधृत सभी अल्पसंख्यक समुदायों को.........

***श्री एस. नागप्पा** (मद्रासः जनरल): मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है। मेरे मित्र जिस संशोधन को उपस्थित कर रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। संविधान में ही यह उपबन्धित है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लोग केवल अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित स्थानों के लिये ही नहीं खड़े हो सकते बल्कि सामान्य स्थानों के लिये भी खड़े हो सकते हैं। इसलिये मेरे मित्र का संशोधन अनावश्यक है। मैं अपने माननीय मित्र से प्रार्थना करता हूं कि चूंकि इस सम्बन्ध में संविधान में उपबन्ध है इसलिये...........

***अध्यक्षः** यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। जब वे संशोधन को उपस्थित कर चुकें तो आप उनसे उसे वापस ले लेने को कह सकते हैं।

***श्री एस. नागप्पाः** मैं अपने मित्र से सिफारिश करता हूं कि वे इस संशोधन को उपस्थित न करें क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है।

*__सरदार हुकम सिंह:__ मेरे मित्र ने जो परामर्श दिया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। यदि मुझे यह विश्वास हो जायेगा कि उसकी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं उसे बाद में बिना किसी संकोच के वापस ले लूंगा। किन्तु मेरे विचार से, जैसा कि मूल मसौदे में किया गया था, इस स्थान पर यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग सामान्य स्थानों के लिये भी खड़े हो सकते हैं।

श्रीमान, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सभा के सम्मुख जो पहला मसौदा उपस्थित किया गया था उसमें धर्म पर आधृत सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिये स्थान रक्षित किये गये। अब वे स्वयं इसके लिये तैयार हो गये हैं। कि वे उन्हें न लेंगे। धर्म पर आधृत उन समुदायों में से मेरा भी समुदाय है। इस निर्णय के लिये सिखों को कोई खेद नहीं है। उनका यह विचार है कि यह एक ठीक निर्णय है और इससे अल्पसंख्यकों का हितसाधन होगा।

किन्तु श्री कपूर ने कुछ एक दो प्रश्न ऐसे उठाये हैं जिनका मैं आपकी अनुमति से उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है—और यह उनका बहुत अच्छा परामर्श है—कि अल्पसंख्यकों को अब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों की बात न सोचनी चाहिये और हम सबको अपना एक ही समुदाय समझना चाहिये। मैं उनके इस विचार से सहमत हूं और मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन देता हूं कि सिख एक ही समुदाय के होना चाहते हैं और इसके लिये प्रयास करेंगे। मैंने इस सभा में तथा बाहर भी कई बार यह नारा सुना है कि अब अल्पसंख्यक समुदाय नहीं रह गये हैं। अच्छा यही होता कि यह बात होती। किन्तु जब तक यह प्रश्न रहेगा अल्पसंख्यक भी बने रहेंगे। केवल बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श देने से अथवा नारे लगाने से वे समाप्त न हो जायेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति कुछ अन्य बातों से, कुछ अन्य अच्छी बातों से हो सकती है। इस सम्बन्ध में सबसे उपयुक्त यही होगा कि मैं अपने विद्वान मित्र डॉ. अम्बेडकर के उस भाषण से एक उद्धरण दूं, जो उन्होंने संविधान के मसौदे को उपस्थित करते समय दिया था। उन्होंने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को बहुत ही उपयुक्त मंत्रणा दी थी और मेरे विचार से उनके उन शब्दों का बहुत महत्व है और आज भी इस प्रश्न का वही हल है जो उन्होंने बताया था।

उन्होंने उस समय कहा था कि अल्पसंख्यक समुदायों ने बहुसंख्यक समुदाय का शासन भक्तिपूर्वक स्वीकार किया है यद्यपि यह बहुसंख्यक समुदाय मूलत: साम्प्रदायिक बहुसंख्यक समुदाय है और राजनैतिक बहुसंख्यक समुदाय नहीं है। बहुसंख्यक समुदाय को समझना चाहिये कि अल्पसंख्यकों के प्रति उनका क्या कर्त्तव्य है और उनके प्रति विभेद न बरतना चाहिये। यह बहुसंख्यक समुदाय के रुख पर ही निर्भर है कि अल्पसंख्यक बने रहें या मिट जायें। जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के प्रति विभेद बरतना छोड़ देंगे तो अल्पसंख्यकों का अस्तित्व न रह जायेगा। ये समुदाय समाप्त हो जायेंगे, किन्तु यह सब अल्पसंख्यक समुदाय के रुख पर ही निर्भर है।

[सरदार हुकम सिंह]

मैं इससे अधिक उपयुक्त ढंग से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता। श्री कपूर से मेरा केवल यह निवेदन है कि इस समस्या का यही हल है और यदि बहुसंख्यक समुदाय ऐसा व्यवहार करे कि अल्पसंख्यक अपनी हित-रक्षा के सम्बन्ध में निश्चिंत हो जायें तो कुछ समय बाद वे लुप्त हो जायेंगे। मैं अन्य लोगों की ओर से तो नहीं बोल सकता है किन्तु जहां तक सिखों का सम्बन्ध है यह स्वाभाविक है कि उन्हें कुछ भय है और इस प्रकार के नारों से तथा बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श से उनका भय बढ़ेगा ही। उनकी यह धारणा है कि यह भविष्य में ही सिद्ध होगा कि उनके भय का कोई आधार है या नहीं।

अब मैं यह बताऊंगा कि मेरा संशोधन कहां तक सार्थक है। मेरे विचार से आरम्भ में, चूंकि हम पृथक निर्वाचन-मंडलों को समाप्त करके विशुद्ध संयुक्त निर्वाचन-मंडल स्थापित करने जा रहे थे, अल्पसंख्यक समिति ने यह सिफारिश की कि अल्पसंख्यकों के लिये कुछ स्थान और कम से कम स्थान रक्षित किये जायें और उन्हें इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया जाये ताकि एकाएक परिवर्तन होने से वे किसी प्रकार के भय से पीड़ित न हों! अल्पसंख्यक समिति का यह उद्देश्य हो ही नहीं सकता था कि अधिक से अधिक संख्या को सीमित किया जाये। यदि यह अतिरिक्त अधिकार नहीं दिया जाता है तो इसका प्रभाव यह होगा कि अधिक से अधिक संख्या सीमित हो जायेगी और यह न होगा कि कम से कम संख्या अवश्य प्राप्त हो जायेगी।

दूसरी बात यह है कि पार्थक्य की भावना का अन्त हो जाना चाहिये। इस समय हम केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ही स्थान रक्षित रख रहे हैं और केवल थोड़े काल के लिये ही इस अनिवार्य दोष को स्वीकार कर रहे हैं। मेरा इस समस्या से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है किन्तु मेरी यह धारणा है कि यदि हम यह चाहते हैं कि पार्थक्य की यह भावना मिट जाये तो जहां एक ओर हम स्थानों को रक्षित रखें वहां दूसरी ओर ये वर्ग भी इस भावना से प्रेरित हों कि वे एक ही समुदाय के अंग हैं और वे अन्य स्थानों के लिये भी अन्य व्यक्तियों के समान खड़े हो सकते हैं। यदि दस वर्ष पश्चात् हमें एकाएक दूसरी ओर चले जाना है तो सम्भव है इस निर्णय को सद्भावना से नहीं बल्कि दुर्भावना से स्वीकार किया जाये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अतिरिक्त अधिकार को प्रदान करने से बहुसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्या में कोई विशेष अन्तर न आयेगा। जहां तक मैं समझता हूं, उन्हें प्रसन्न करने के लिये इस बुद्धिवाद का सहारा लिया गया है। अन्यथा इसकी बहुत कम सम्भावना है कि जिन अल्पसंख्यकों के लिये यह स्थान सुरक्षित रखे गये हैं वे अतिरिक्त स्थानों को प्राप्त कर सकेंगे परन्तु वे यह क्यों सोचते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय ने अपने लिये कई स्थान सुरक्षित रखे हैं। और ये स्थान भी उन्हीं के लाभ के लिये रक्षित रखे जा रहे हैं?

मेरा यह नम्र निवेदन है कि यदि जिस अतिरिक्त अधिकार की आरम्भ में कल्पना की गई थी वह भी उन्हें प्रदान कर दिया जाता है और उन्हें उन स्थानों के लिये भी खड़ा होने की आज्ञा दे दी जाती है, जो उनके लिये रक्षित नहीं किये गये हैं तो कोई हानि न होगी।

***श्री बी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले:** (मद्रास: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैंने जिन दो संशोधनों की सूचना दी है उन्हें उपस्थित करने के लिये मैं उठा हूं। मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

> "संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 22 में प्रस्तावित अनुच्छेद संख्या 292 के खण्ड (2) में 'as the population (जनसंख्या)' शब्दों के पश्चात् 'actually exists or known by a fresh census' (जैसी कि वह हो अथवा नवीन जनगणना के फलस्वरूप ज्ञात हो)' शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मंत्रणा-समितियों के प्रतिवेदनों पर सभा में पूर्ण रूप से विचार हो चुका है किन्तु मैं मसौदा-समिति के ध्यान में कुछ ऐसी बातें लाना चाहता हूं जिनसे अनुसूचित जातियों के लोगों को रक्षणाली के अधीन उन्हें बांट में मिलने वाले स्थानों के सम्बन्ध में आश्वासन मिल जायेगा। मैंने यह सुझाव रखा है कि उस जनसंख्या को स्वीकार किया जाये जो आज है अथवा जो नवीन जनगणना के आधार पर निश्चित की जाये। मैंने यह सुझाव इस कारण रखा है कि 1931 की जनगणना के आधार पर यह हिसाब लगाया गया था कि अनुसूचित जातियों की अनसंख्या 5 करोड़ है, 1944 की जनगणना के आधार पर यह कहा गया कि उनकी जनसंख्या 4 करोड़ 40 लाख है। मैं कह नहीं सकता है कि अनुसूचित जातियों का समुदाय दस ही वर्षों में इतना कैसे घट गया। अगस्त 1947 में, जब इस आदरणीय सभा में अल्पसंख्यक समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया था, मेरे माननीय मित्र श्री खांडेकर ने, जो भारत की डिप्रेस्ड क्लासेज लीग के अध्यक्ष हैं, यह अनुरोध किया था कि स्थान के बंटवारे के पूर्व जनगणना होनी चाहिये अथवा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1931 की जनगणना के आधार पर निश्चित की जानी चाहिये। 1931 की जनगणना के आधार पर अथवा 1951 में होने वाली नवीन जनगणना के आधार पर प्रतिनिधियों की जो संख्या निश्चित की जायेगी उसे हम स्वीकार करने को तैयार हैं। जहां तक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सम्बन्ध है, 1941 की जनगणना के आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। उनके आधार पर जो प्रतिनिधित्व निश्चित किया जायेगा वह हमारे लिए बहुत अन्यायपूर्ण होगा।

दूसरी बात यह है कि देश के विभाजन के कारण हरिजन बहुत बड़ी संख्या में पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल और पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब चले आये हैं।

[श्री बी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले]

यह सभी को विदित है कि देश विभाजन के कारण तथा अन्य कारणों से भी मेरे समुदाय के लाखों लोगों को भारत को प्रव्रजन करना पड़ा। मसौदा समिति को इसे ध्यान में रखना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि 1935 के अधिनियम तथा उसके अधीन जारी किये हुए आदेशों से प्रान्तीय सरकारों को ऐसे समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में प्रविष्ट करने की शक्ति प्राप्त हो गई है जो पिछड़े हुए समझे जाते हैं। 1941 के पश्चात् कई समुदाय अनुसूचित जातियों की सूची में प्रविष्ट किये गये हैं और मेरे मित्र श्री ठक्कर बापा ने भी कुछ समुदायों की सूचना दी है जिन्हें इस सूची में प्रविष्ट करना चाहिये। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी यह धारणा है कि अनुसूचित जातियों की इस समय की जनसंख्या 1941 की उनकी जनसंख्या से कहीं अधिक होगी। इसलिये स्थानों की संख्या निश्चित करने के लिए और इस प्रकार अनुसूचित जातियों के लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिये कि उन्हें अपने राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं, यह आवश्यक है कि जनगणना जितनी जल्दी हो सके की जाये।

इस आदरणीय सभा से मेरा एक निवेदन और है और वह जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों के लिए स्थान निश्चित करने के सम्बन्ध में है। यह सभा लोगों को वयस्क मताधिकार प्रदान कर चुकी है। जो लोग 1941 में अल्पवयस्क थे वे दस वर्षों में वयस्क हो गये होंगे। इसलिये जब तक ठीक-ठीक जनगणना न की जाये तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या ठीक निश्चित की गई है। यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अनुच्छेद में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है:

> "अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के लिए किसी राज्य में रक्षित रखे स्थानों की संख्या का अनुपात लोक सभा में उस राज्य को बांट में दिये गये स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वहीं होगा जो यथास्थिति उस राज्य में की अनुसूचित आदिम जातियों की, अथवा उस राज्य में की या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित आदिम जातियों की, जिनके सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।"

वे सब लोग जो 1941 में अल्पवयस्क थे अब वयस्क हो गये होंगे और इसलिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या की सूची में उनकी भी गणना की जाये। इसलिए इस प्रयोजन के लिए एक नवीन जनगणना की आवश्यकता है।

पहले एक दिन मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि उत्तर-सदन में स्थान रक्षित नहीं रखे गये हैं। प्रतिवेदन को पढ़ने के पश्चात् मैं यह निर्णय

नहीं कर सका। मेरी यह प्रबल धारणा है कि यदि उत्तर-सदन में स्थान रक्षित नहीं रखे जा रहे हैं तो अनुसूचित जातियों के लोगों को अवर सदन में बहुत से स्थान दिये जाने चाहियें ताकि उनकी स्थिति सुदृढ़ हो सके।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस अनुच्छेद में स्थान रक्षित रहने की जो व्यवस्था की गई है उसका यह अर्थ न समझना चाहिए कि इस समुदाय को हमेशा के लिए पृथक किया जा रहा है। मैं यह कह सकता हूं कि इस अनुच्छेद में वास्तविक गांधीवाद की भावना व्यक्त है। इसके द्वारा अन्य समुदायों को अपने कर्त्तव्य पालन का अवसर दिया गया है। चाहे ये स्थान दस ही वर्ष के लिए रक्षित रखे जा रहे हैं किन्तु इस बीच अन्य समुदायों को अनुसूचित जातियों के समुदाय के प्रति भ्रातृभाव दिखाना चाहिये ताकि इस अवधि के पश्चात् वह स्वयं आगे बढ़कर यह कहे कि उसे स्थानों के रक्षण की आवश्यकता नहीं है।

मैं अपने दूसरे संशोधन को भी उपस्थित करता हूं, जो इस सम्बन्ध में है कि "ऐसे स्थानों में निर्वाचन-क्षेत्र निश्चित किये जायें जहां प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक हो"। मेरे माननीय मित्र श्री जसपत राय कपूर ने बहुत से कारण देकर यह सिद्ध किया है कि अनुसूचित जातियों के लिए ऐसे मिले-जुले क्षेत्रों में स्थान अथवा निर्वाचन-क्षेत्र निश्चित करने की आवश्यकता है, जहां वे अधिक संख्या में निवास करते हैं। इसका कारण यह है कि कई वर्षों से ऐसे क्षेत्रों में स्थान बांट में दिये जाते रहे हैं जहां सवर्ण हिन्दुओं और अन्य समुदायों का बहुमत है और हरिजनों को अपने मत को स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाने का अवसर नहीं मिलता और न वे अपने समुदाय के श्रेष्ठ लोगों को निर्वाचित ही कर सकते हैं। मैंने भी इस संशोधन की इसी कारण सूचना दी है। मुझे आशा है कि मसौदा-समिति या तो मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी या श्री कपूर के संशोधन को।

इन शब्दों के साथ मैं डॉ. अम्बेडकर के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(संशोधन संख्या 96 उपस्थित नहीं किया गया।)

*__अध्यक्षः__ श्री सहाय के संशोधन को भी स्थगित रखना होगा। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने यह इच्छा प्रकट की है कि वे अपने कुछ संशोधन उपस्थित करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे किन संशोधनों को उपस्थित करना चाहते हैं।

*__पं. ठाकुरदास भार्गव__ (पूर्वी पंजाब: जनरल): श्रीमान, 10 जुलाई 1949 तक की जो सम्मिलित सूची है। उसके संशोधन संख्या 237, 236 और 234 को मैं उपस्थित करना चाहता हूं।

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

मैं इन प्रस्तावों को उपस्थित करता हूं कि:

"उपरोक्त संशोधन संख्या 225 में प्रस्तावित अनुच्छेद 292 के अन्त में निम्नलिखित नवीन परन्तुक जोड़ दिया जाये:

'Provided that the members of the Scheduled Tribes in Assam will not have the right to contest general seats.

(परन्तु आसाम की अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को सामान्य स्थानों के लिये खड़े होने का अधिकार नहीं होगा।)' "

"उपरोक्त संशोधन संख्या 225 में प्रस्तावित अनुच्छेद 292 के खण्ड (2) के पश्चात् निमलिखित नवीन खण्ड जोड़ दिया जाये।

'(3) The reservation of seats shall, as far as possible, be secured by single member territorial constituencies.

[(3) स्थानों का रक्षण, यथासम्भव, एक सदस्य वाले प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर होगा।]' "

"उपरोक्त संशोधन संख्या 225 में प्रस्तावित अनुचछेद 292 के खण्ड (2) में व्याख्या के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक प्रविष्ट किया जाये:

'Provided that for the calculation of the balance of the proportion is more than half of what it requires to obtain one seat, one seat shall be allotted and if it is less than half it shall be ignored.

(परन्तु गणना के लिये यदि अनुपात का शेष उस संख्या से अधिक हो, जो एक स्थान प्राप्त करने के लिये आवश्यक है, तो बांट में एक स्थान दिया जायेगा किन्तु यदि वह आधे से कम हो तो उसकी अपेक्षा की जायेगी।)' "

हम जिन सामान्य अनुच्छेदों को पारित कर चुके हैं उनका मेरे मित्र श्री नागप्पा ने जो निर्वचन किया है उसे मैं स्वीकार करता हूं। इस विषय के सम्बन्ध में सभा जिस अनुच्छेद को पारित कर चुकी है उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य स्थानों के लिये खड़ा होने का अधिकार है जिसका अर्थ यह है कि जब तक इसके विरुद्ध कोई उपबन्ध न हो, जिन लोगों के लिये स्थान रक्षित किये जा रहे हैं उन्हें भी सामान्य स्थानों के लिये खड़े होने का अधिकार होगा।

यह सच है कि लोकतंत्र का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति को एक मत प्राप्त हो। सभा ने कुछ वर्गों के लिये स्थान रक्षित करके उनके साथ रिआयत की है

और वर्तमान स्थिति में उनके साथ यह रिआयत करनी ही थी। इस समस्या का यही उपयुक्त हल है। मैं कह नहीं सकता कि अनुसूचित जातियों का कोई व्यक्ति स्थानों का रक्षण चाहता है या नहीं। अनुसूचित जातियों के लोग केवल यह चाहते हैं कि वे इस देश के अन्य समुदायों के स्तर पर आ जायें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अन्य साधन भी हैं। चूंकि इन वर्गों का और कुछ अन्य वर्गों का भी यह विचार है कि वे सामान्य निर्वाचन-क्षेत्रों से अपने लोगों को निर्वाचित नहीं करा सकते हैं इसलिये यह अच्छा ही है कि हमने उनके स्थान-रक्षण की व्यवस्था की है। मुझे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि यदि हम उन्हें सामान्य स्थानों के लिये भी खड़ा होने देते हैं तो हम गलती करेंगे। हम एक सिद्धान्त का परित्याग करेंगे किन्तु साथ ही मेरा यह भी विचार है कि यदि हम अनुसूचित जातियों को यह अधिकार दे रहे हैं तो इससे कोई हानि न होगी। यदि वे इससे प्रसन्न हैं तो प्रसन्न रहें। मेरे विचार से सारे भारत में किसी भी सामान्य स्थान के लिये खड़ा होने पर अनुसूचित जातियों का काई व्यक्ति निर्वाचित नहीं हो सकता।

यदि उनमें से कई लोग निर्वाचित हो गये तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं यह चाहता हूं कि अन्य वर्गों के लोग अनुसूचित जातियों के लोगों का विश्वास करें। यदि अन्य उम्मीदवारों को हराकर उनमें से कई निर्वाचित हो गये तो मुझे प्रसन्नता होगी। उन्हें यह अधिकार प्रदान किया जाये, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे विश्वास है कि दस वर्ष बीतने पर उनमें से कई लोग कहेंगे, "हमने यह देखने का प्रयास किया कि अन्य वर्गों के लोग हमारा समर्थन करते हैं कि नहीं। उन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया। इसलिये आवश्यकता इसी की है कि स्थान-रक्षण व्यवस्था को जारी रखा जाये"। उस समय उनके इस तर्क में कुछ बल न रहेगा क्योंकि उन्होंने आंखें खोलकर दस वर्ष की अन्तिम सीमा स्वीकार की है।

आसाम की अनुसूचित जातियों का मामला बिल्कुल भिन्न है। मुझे यह बताया गया है कि आसाम में 20 प्रतिशत मुसलमान हैं, 22 प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियों के लोग हैं और 48 प्रतिशत वे लोग हैं जिनके लिये स्थान रक्षित नहीं हैं। यदि वे लोग, जिनके लिये स्थान रक्षित नहीं हैं, बड़ी संख्या में हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि जिन लोगों के लिये स्थान रक्षित किये गये हैं उन्हें सामान्य स्थानों के लिये भी खड़ा होने दिया जाये। किन्तु यदि यह अधिकार उन लोगों को दिया गया, जिनकी संख्या आधे से कम है, तो अवश्य आपत्ति की जा सकती है।

***काजी सैय्यद करीमुद्दीन** (मध्य प्रान्त और बरार: जनरल): मुसलमान और अन्य लोग, जिनके लिये स्थान रक्षित नहीं दिये गये हैं 60 प्रतिशत से अधिक स्थानों को पा जायेंगे।

पं. ठाकुरदास भार्गव: मेरे मित्र ने 60 प्रतिशत की जो चर्चा की है उससे मेरा तर्क और भी अधिक पुष्ट हो जाता है। मेरा यह निवेदन है कि स्थान-रक्षण

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

की व्यवस्था कोई उचित व्यवस्था नहीं है क्योंकि इससे पार्थक्य की भावना प्रबल हो जाती है और वर्गों का मिलकर एक हो जाना कठिन हो जाता हैं। इस दृष्टि से भी इन वर्गों को अन्य स्थानों के लिए खड़ा होने का लोकतंत्र-विरूद्ध अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे उन लोगों के प्रतिनिधियों की संख्या और भी कम हो जायेगी जिनके लिये स्थान रक्षित नहीं किये गये हैं। श्रीमान, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है कि उसका प्रतिनिधित्व उसकी पसंद का ही कोई व्यक्ति करे। कुछ वर्गों के लिए स्थान रक्षित करके यह सभा लोगों की अपनी पसंद के व्यक्तियों द्वारा अपना प्रतिनिधित्व कराने के अधिकार से वंचित कर रही है। यह तर्क मेरी समझ में आता है कि अन्य लोगों के अधिकारों का भी अपहरण हो रहा है। अनुसूचित जातियों के लोग यह चाहेंगे कि विधान-मंडलों में उनकी पसंद के लोग उनका प्रतिनिधित्व करें। यह हो सकता है कि जिन लोगों के लिए स्थान रक्षित नहीं किये गये हैं उनमें से कुछ उम्मीदवारों पर उनका अधिक विश्वास हो। इस प्रकार स्थान-रक्षण से सभी लोग अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। इसलिये हमें इसका प्रयास करना चाहिए कि स्थान-रक्षण के दोषों से अन्य लोगों के हितों की और वैध अधिकारों की हानि न हो। इसलिये मेरा यह कहना है कि आसाम में जहां आरक्षित स्थानों वाले लोग 50 प्रतिशत से कम हैं, उनके अधिकारों में रक्षित स्थानों वाले लोगों को हस्तक्षेप न करने देना चाहिये।

अब मैं अपने संशोधन संख्या 226 को उठाता हूं।

"उपरोक्त संशोधन संख्या 225 में प्रस्तावित अनुच्छेद 292 के खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित नवीन खंड जोड़ दिया जाये:

(3) स्थानों का रक्षण, यथासम्भव, एक सदस्य वाले प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों के आधार पर होगा।' "

मेरा नम्र निवेदन है कि यदि बहुत सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था की गई तो यथोचित रूप से प्रतिनिधित्व न हो सकेगा। बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों से खड़े होने वाले लोग अपने समर्थकों का उतने प्रभावपूर्ण ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे जितने प्रभाव पूर्ण ढंग से एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से खड़े होने वाले लोग अपने समर्थकों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व जो लोग करेंगे उन्हें उनके पड़ौसियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानेगा। बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों में उनके पक्ष में जो लोग मत देंगे वे उन्हें बिल्कुल भी न जानेंगे। आरक्षित जगहों वाले लोगों के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में भी यही होगा क्योंकि पास-पड़ौस के अतिरिक्त बाहर के लोग बहुत कम लोगों को जानते हैं। वास्तव में जो व्यक्ति अपने जिले में लोकप्रिय हो उसे अन्य जिले से खड़ा होने का कोई अधिकार नहीं है। सम्भव है उसे वहां कोई भी न जानता हो। इसलिये बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधि निर्वाचित करने की व्यवस्था उपयुक्त व्यवस्था नहीं है।

इसके अतिरिक्त यदि आप इस ओर ध्यान दें कि उम्मीदवार को एक बहुत बड़े क्षेत्र में जहां तहां बसे हुए 7,50,000 लोगों में प्रचार करना होगा तो आप समझ जायेंगे कि उसे किस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और क्या कष्ट झेलने होंगे। मेरा यह भी निवेदन है कि यदि एक सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों से भी केवल विशेष आदिमजाति के लोगों को ही खड़ा होने दिया गया तो उससे भी लोग अपना प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित हो जायेंगे। यदि बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्र स्थापित किये गये तो कठिनाई बढ़ जायेगी। इन सब बातों की ओर ध्यान देते हुए बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों से न उन वर्गों के लोगों का हितसाधन हो सकता है जिनके लिए जगहें रक्षित रखी गई हैं और न अन्य लोगों का। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे सुझाव को स्वीकार कर ले और जहां तक सम्भव हो इसे संविधान का अंग बना ले कि अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों से न हो बल्कि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से हो।

अब मैं अपना तीसरा संशोधन उठाता हूं जो इस प्रकार है:

"उपरोक्त संशोधन संख्या 225 में प्रस्तावित अनुच्छेद 292 के खंड (2) में व्याख्या के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक प्रविष्ट किया जाये:

'परन्तु गणना के लिए यदि अनुपात का शेष उस संख्या से अधिक हो जो एक स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है तो बांट में एक स्थान दिया जायेगा किन्तु यदि वह आधे से कम हो तो उसकी उपेक्षा की जायेगी।' "

यह गणित का एक नियम है और वास्तव में एक समुचित नियम है। मैं इसके सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। यदि एक प्रस्ताव मात्र है।

*__अध्यक्ष:__ पंडित भार्गव ने जो संशोधन उपस्थित किये हैं वे 10 जुलाई 1949 की सूची के संशोधन संख्या 234, 236 और 237 हैं।

*__श्री कुलधर चालिहा:__ (आसाम: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं पहले अपने मित्र प्रोफेसर लस्कर के प्रस्ताव के सम्बन्ध में ही बोलूंगा। उन्होंने जो हालत बताई है उससे मुझे सहानुभूति है किनतु साथ ही हमारे सामने कठिनाइयां भी हैं। आसाम की जनसंख्या के आंकड़ों की परीक्षा करने पर उनका तर्क नहीं टिकता। हम देखते हैं कि वहां आदिमजातियों के लोगों की जनसंख्या 34 लाख है और मुसलमानों की जनसंख्या 17 लाख है। इनके अतिरिक्त जो सामान्य लोग हैं वे बहुत कुछ एक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। 1941 की जनगणना के अनुसार (विभाजित) आसाम की जनसंख्या लगभग 74 लाख है। इसके आधार पर केवल 3। लाख अनुसूचित जातियों के लोगों को लोक-सभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करना बहुत कठिन है। आसाम में अन्य समुदाय भी हैं जैसे अहोम। उनकी जनसंख्या लगभग 3 लाख है। अहोम लोग शासक रहे हैं और इसलिये वे एक स्थान के लिये मांग करेंगे।

[श्री कुलधर चालिहा]

इसके अतिरिक्त मटक और मौरान भी हैं जिनकी जनसख्या 3½ लाख है। चुटियाओं की जनसंख्या ½ लाख है। सामान्य समुदाय के स्थानों में से उनके लिये भी कोई स्थान अलग रखना होगा, यद्यपि जैसाकि मैं कह चुका हूं वह एक अल्पसंख्यक समुदाय है। मेरे विचार से हमें भी लस्कर के समुदाय के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिये और मुझे आशा है कि श्री लस्कर को सदन में एक स्थान प्राप्त हो जायेगा। किन्तु इस समय हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उनके तर्क को स्वीकार कर सकें। देश के जिस भाग में मैं रहता हूं वहां यह प्रथा प्रचलित हो गई है कि जहां तक सम्भव होता है सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व होता है। बहुत समय से कांग्रेस समिति इसी प्रथा का अनुसरण करती आ रही है और चाहे श्री लस्कर के समुदाय की जनसंख्या बहुत कम है किन्तु वह इसका निश्चित रूप से प्रबन्ध कर देगी कि अगले पांच वर्षों में वे लोक सभा के लिये निर्वाचित हो जायेंगे।

श्री लस्कर ने जनगणना के आंकड़ों की भी त्रुटियां बताई हैं। 1941 में कांग्रेस पदारूढ़ नहीं थी। यह सच है कि आदिम-जातियों की जनसंख्या बढ़ गई है। यह कहा जाता है कि अनुसूचित जातियों के कुछ लोगों ने आदिम-जातियों का धर्म अंगीकार कर लिया है और वह इसलिये कि वे शराब पीने के आदी थे। यह भी कहा जाता है कि उनमें से बहुत से लोगों ने हिन्दू धर्म को अंगीकार कर लिया है और वह इसलिये कि वे शराब पीने के आदी थे। यह भी कहा जाता है कि उनमें से बहुत से लोगों ने हिन्दू धर्म को अंगीकार कर लिया है और हिन्दुओं की जनसंख्या को 184 प्रतिशत बढ़ा दिया है। किन्तु इसमें कांग्रेस का कोई दोष नहीं है। यदि आदिम-जातियों की जनसख्या बढ़ गई है तो उसके लिये ईश्वर ही दोषी है अन्य कोई व्यक्ति नहीं। मुझे आशा है कि अगली जनगणना में इस प्रकार की बातें न होने पायेंगी और सभी बातें न्यायपूर्ण ढंग से होंगी।

जहां तक, श्रीमान, पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन का सम्बन्ध है, मैं उससे सहमत हूं। आसाम के सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के निवासी अल्पसंख्यक हैं। जो लोग स्थानों के रक्षण की मांग करते हैं उन्हें जनसाधारण के निर्वाचन क्षेत्रों में कदम न रखना चाहिये और न उन्हें उन क्षेत्रों में कोई स्थान प्राप्त करने का अधिकार ही होना चाहिये। सौभाग्य से आसाम में सूचारु व्यवस्था है और कभी-कभी समायोजन कर लिया जाता है। मुझे विश्वास है कि अल्पसंख्यकों से हमें जिस सहिष्णुता की आशा है उसे वे दिखायेंगे और हम भी उनके प्रति सहिष्णुता से व्यवहार करेंगे।

इन शब्दों के साथ, श्रीमान, मैं श्री लस्कर के संशोधन का विरोध करता हूं और पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन का कुछ शर्तों के साथ समर्थन करता हूं। मैं रेवरेंड निकोल्स राय के इस विचार से भी सहमत हूं कि आदिम-जातियों को किसी कारण भी उनके लिये रक्षित जगहों से वंचित न किया जाना चाहिये और जैसाकि एक संशोधन में प्रस्ताव है, उन्हें विभाजित भी न किया जाना चाहिये।

*अध्यक्ष: श्री जयपाल सिंह।

*श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर (मद्रास: जनरल): अब प्रस्ताव पर मत लिया जाये।

*अध्यक्ष: मैं उन्हें बुला चुका हूं।

*श्री जयपाल सिंह (बिहार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस सभा को दो आदिम-जाति समितियों की सिपारिशों पर विचार विमर्श करने का अवसर ही नहीं मिला। मुझे ज्ञात है कि अल्पसंख्यक समिति के प्रतिवेदन पर विचार होते समय इस विषय पर दो दिन तक बहस होती रही कि अनुसूचित जातियों और मुसलमानों के लिये स्थान रक्षित रखने चाहिये या नहीं। उस समय केवल मुलसमानों के प्रश्न पर ही बहस होती रही। जब मैंने प्रतिवेदनों का प्रश्न उठाया था तो आपने कृपा करके कहा था कि सभा उन प्रतिवेदनों पर भविष्य में विचार करेगी। किन्तु यदि सभा की यह इच्छा हो कि अनुसूचित आदिम-जातियों के सम्बन्ध में बहस न हो तो मुझे इसके अतिरिक्त और कोई आपत्ति नहीं है कि इन दो उप समितियों के सभापतियों को यह स्पष्ट करने का अवसर नहीं मिलेगा कि उन्होंने विशेष प्रकार की सिफारिशें क्यों की हैं और यह बहुत दुर्भाग्य की बात होगी।

उदाहरणार्थ उस उपसमिति की सिफारिशों को लीजिये जिसका मैं भी एक सदस्य था और जिसके सभापति समाज सुधारक श्रद्धेय श्री ठाकुर थे। समय आने पर हम उन उपबन्धों पर विचार करेंगे जिनकी इस उपसमिति ने सिफारिश की है। इन सिफारिशों की व्यवस्था अन्य कोई व्यक्ति क्यों करे? मेरे विचार से अच्छा यही होगा कि इन पर विचार विमर्श होता ताकि जो परीक्षा की गई है उसकी सदस्यों को जानकारी हो जाती और वे यह समझ जाते कि इस उपसमिति ने कुछ विशेष निर्णय क्यों किये और मैंने अल्पसंख्यकों की ओर से मतभेद का एक लेख क्यों प्रस्तुत किया और मेरे मित्र श्री देवेन्द्र नाथ सामन्त मेरे मतभेद के लेख से क्यों सहमत हुए इत्यादि। इस वाद-विवाद में इन सभी विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श हो जाता और बहस में भाग लेने के पूर्व और सिफारिशों के पक्ष में अथवा विपक्ष में मत देने के पूर्व सदस्य समझ सकते कि इस उपसमिति को आदिम जातियों के सम्बन्ध में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

इतना कहने के पश्चात्, मैं डॉ. अम्बेडकर को उनके उस नवीन संशोधन के लिये बधाई देता हूं, जिसे उन्होंने आज उपस्थित किया है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यदि किन्हीं लोगों को भारत में राज करने का अधिकार है तो आदिवासियों को ही है। वे प्रथम श्रेणी के भारतीय हैं और अन्य लोग दूसरी, तीसरी चौथी अथवा किसी अन्य श्रेणी के भारतीय हैं। मेरे विचार से जब हम स्थानों के रक्षण जैसे प्रश्नों को उठायें तो हमें इस स्थिति को समझना चाहिये। श्रीमान, हम किसी प्रकार की भीख नहीं मांग रहे हैं। मैं यहां भीख मांगने नहीं आया हूं। बहुसंख्या

[श्री जयपाल सिंह]

समुदाय ने पिछले छह हजार वर्षों में जो पाप किये हैं उनके लिये उसे प्रायश्चित करना चाहिये। इसका निर्णय वे करें कि भूतपूर्व शासकों ने इस देश के आदिवासियों के साथ न्याय किया है या नहीं। भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। जो बीत गया है उसे बीता हुआ ही समझना चाहिये। हमें यह समझना चाहिये कि हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा और भविष्य में लोगों के प्रति न्याय होगा तथा उन्हें अवसर समता प्राप्त होगी।

एक माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि उन्हें इसकी प्रसन्नता है कि मुसलमानों और ईसाइयों त्याग किया है और उन्होंने स्थानों के रक्षण का परित्याग किया है। श्रीमान, आदिवासी किसी वस्तु का त्याग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कभी कोई वस्तु प्राप्त ही नहीं रही। यह एक आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोग लोकतंत्र की चर्चा करें जिनका पहले हमेशा लोकतंत्र विरोधी आचरण रहा हो। सामान्य समुदाय ने इन पिछड़े हुए लोगों के लिये पहले क्या किया है? क्या कभी कोई ऐसी विधि प्रवर्त्तन में रही है, जिसके उपबन्धों के अधीन के जनसंख्या के आधार पर निश्चित किये हुए स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों के लिये आदिवासियों को खड़ा नहीं कर सकते थे? बिहार का ही उदाहरण लीजिये। बिहार में 41 लाख आदिवासी हैं किन्तु वहां की विधान सभा में केवल 7 आदिवासी सदस्य हैं। क्या किसी समान्य स्थान लिये कांग्रेस के लोगों ने एक आदिवासी को भी खड़ा किया? जी नहीं। मध्यप्रान्त और बरार का उदाहरण लीजिये, वहां राज्यों के समाविष्ट होने के पूर्व 29 लाख आदिवासी थे किन्तु उनके लिये कवेल एक स्थान रखा गया था। समाविष्टि के पश्चात् वहां की जनसंख्या में 28 लाख की वृद्धि हो जायेगी, जिनमें से अधिकांश लोग आदिवासी होंगे। मैं प्रत्येक प्रान्त के सम्बन्ध में यही सब कह सकता हूं। बम्बई जैसे प्रान्त में भी आदिवासियों के लिये एक ही स्थान रक्षित है यद्यपि राज्यों के समाविष्ट होने के पूर्व वहां आदिवासियों की जनसंख्या 16 लाख थी और अब समाविष्टि के कारण वहां की जनसंख्या 44 लाख बढ़ जाने से यह संख्या दूनी हो जायेगी। यह उस प्रान्त की बात है जहां के प्रधान मंत्री आदिवासियों के हितसाधन के लिये उनके बीच कई वर्षों तक कार्य करते रहे हैं। वे वहां के आदिवासी सेवा मंडल के अध्यक्ष रहे हैं और प्रधान मंत्री होने के पूर्व उन्होंने जो कार्य किया था उसे देखने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। प्रधान मंत्री होने के पश्चात् उन्हें उस काम के लिये उतना समय नहीं मिला जितना पहले मिलता था।

ऐसे प्रान्त में भी जहां बहुसंख्यक दल का इतनी सहानुभूति रखने वाला नेता है, किसी प्रकार की उदारता नहीं दिखाई है। लोग लोकतंत्र की चर्चा करते हैं। उन्हें अपने दिलों को टटोल कर देखना चाहिये। कौन-सी ऐसी बात है जिसके कारण ये लोग इन आदिवासियों को जंगलों के कारागारों से मुक्त करके विधान-मंडलों में स्थान नहीं दे सकते? इन लोगों को विधान-मंडलों में तथा सार्वजनिक जीवन की अन्य संस्थाओं में स्थान न देकर ये लोग अपनी संकुचित दृष्टि, उदासीनता तथा विरोधी भावनाओं के लिये क्या सफाई देते हैं? यह अत्यंत आवश्यक है कि

इन लोगों को अपने जंगल के कारागारों से निकल आने के लिए बाध्य किया जाये। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये स्थानों के रक्षण की आवश्यकता है। यदि आप देश में एकता चाहते हैं तो हम सभी को मिल-जुलकर रहना चाहिये।

श्रीमान, इस सम्बन्ध में मैं आपके उन शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं जो आपने नौ वर्ष पूर्व उस अवसर पर कहे थे अब आप रामगढ़ की कांग्रेस की स्वागत-समिति के सभापति थे। मैं संदर्भ की उपेक्षा करके किसी उद्धरण को नहीं देना चाहता। मेरे विचार से आपने उस अवसर पर जो कुछ कहा था उससे मैं जो कुछ व्यक्त करना चाहता हूं वह सिद्ध हो जाता है। आपने कहा था:

"बिहार के उस भाग की, जहां आज यह महान सभा हो रही है अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इसका सौन्दर्य अद्वितीय है। इसका इतिहास भी अद्भूत है। इस भाग के निवासी अधिकतर वे लोग हैं जो भारत के आदिवासी कहे जाते हैं। उनकी सभ्यता अन्य लोगों की सभ्यता से बहुत भिन्न है। प्राचीन वस्तुओं की खोज से यह प्रमाणित हुआ है कि यह सभ्यता बहुत प्राचीन है। आदिवासियों का वंश (आस्ट्रिक) आर्यवंश से भिन्न है और इस वंश के लोग भारत के दक्षिण-पूर्व में बहुत दूर-दूर तक कई द्वीपों में बसे हुए हैं। इस भाग में उनकी संस्कृति अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित है। यह बात नहीं है कि आर्यों और आदिवासियों का कभी रक्त-सम्बन्ध हुआ ही न हो। वास्तव में उनके बीच बहुत रक्त-सम्बन्ध और आदान-प्रदान हुए। आर्यों ने उनसे बहुत सी बातें ग्रहण की और उन्होंने आर्यों से बहुत सी बातें ग्रहण कीं। किन्तु इन सब बातों के होते हुए भी वे अलग ही रहे। विशेषज्ञों की यह सम्मति है कि बिहारियों का रंगरूप, उनकी खोपड़ियों की बनावट और उनकी भाषा भी यह प्रमाणित करते हैं कि उन पर आदिवासियों का प्रभाव पड़ा है। आदिवासियों ने बिहारियों पर अपना प्रभाव डाला और उन्होंने उनकी संस्कृति और भाषा को बहुत अंश में स्वीकार कर लिया।"

उनकी यह विशेषता है। भारत के कुछ भागों में बहुत रक्त-संबंध हुए हैं और इसका यह परिणाम हुआ है कि उनमें से बहुत से लोग हिन्दू सम्प्रदाय में सम्मिलित हो गये हैं। किन्तु कुछ भागों में ऐसा नहीं भी हुआ है। किन्तु प्राचीन लोगों और नवागन्तुकों में संघर्ष भी रहा है। जब आर्यों के गिरोह के गिरोह इस देश में आये तो स्वाभावत: उनका स्वागत नहीं किया गया और वह इस कारण कि वे आक्रान्त थे। किन्तु उनकी एक अटूट धारा प्रवाहित हुई और उन्होंने आदिवासियों को दूर के स्थानों में भगा दिया। आर्य लोग गंगा के उपजाऊ मैदानों में बस गये और उन्होंने आदिवासियों को निकाल बाहर किया। चूंकि इन लोगों ने आर्यों का स्वागत नहीं किया इसलिये इन्हें जंगलों में जाकर रहना पड़ा। चूंकि पहाड़ी प्रदेशों में आर्य आसानी से नहीं जा सकते थे और बस भी नहीं सकते थे इसलिये आदिवासी वहां रहने लगे और आज भी वहीं रहते हैं।

किन्तु अब स्थिति बदल गई है। अब कोई प्रदेश पृथक् प्रदेश नहीं रह गया है। अब हम जहां भी चाहें जा सकते हैं और भविष्य में बहुत से लोग इधर-उधर आने जाने लगेंगे। डिकुओं के विरुद्ध, 'डिकू' शब्द का अर्थ है नवागन्तुक और आदिवासी नवागन्तुकों को डिकू ही कहते हैं, कटु भावना होने का एक कारण यह

[श्री जयपाल सिंह]

भी है कि नवागन्तुकों ने सीधे-सादे अनजान आदिवासियों का सदैव शोषण किया। उन्होंने उनकी भूमि लूट ली, उनके अधिकार छीन लिये और उनके स्वच्छंद जीवन यापन करने के स्वायंत्र्य का अपहरण कर लिया। यह स्वाभाविक ही है कि आदिवासियों को ये सब बातें नापसंद हैं। हजारों वर्षों से वे जिस कटुता का पोषण करते आये हैं उसका अन्त होना चाहिये। मुझे इसकी प्रसन्नता है कि नवीन संविधान में पृथक् निर्वाचित-क्षेत्रों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इसका स्वागत करता हूं कि जब आदिवासी संयुक्त सामान्य निर्वाचित-क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे। मैं इसका भी स्वागत करता हूं कि सभा इस सुझाव के सम्बन्ध में एक मत है कि आदिवासियों को केन्द्र तथा प्रान्तों की सरकारों में पद स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जाये। अनुच्छेद 292 का यह प्रभाव होगा कि जहां पहले बिहार की विधान-सभा में सात सदस्य होते थे वहां अब लगभग 41 सदस्य होंगे। 41 सदस्य अवश्य ही होंगे क्योंकि उनके लिये 41 स्थान रक्षित किये गये हैं। यदि राजनैतिक दल उदारता दिखाकर आदिवासियों की जनसंख्या के आधार पर निश्चित किये हुए स्थानों से अधिक स्थान देने का निश्चय करे तो उनके अधिक प्रतिनिधि भी आ सकते हैं। मध्य प्रान्त में, जहां इस समय एक ही आदिवासी विधान-सभा का सदस्य है, तीस आदिवासी सदस्य हो सकते हैं। आसाम में, आदिवासियों की जनसंख्या 24 लाख है और उनके लिये केवल नौ स्थान रक्षित किये गये हैं। मुझे स्वयं जनगणना के आंकड़ों से कभी प्रेम नहीं रहा। जब से महासभा राजनैतिक दल का रूप धारण करके संघर्ष करने लगी तबसे जगणना के आंकड़े कभी भी बच्चे अथवा विश्वसनीय नहीं रहे हैं। अभी भी हमें सच्चाई से वैज्ञानिक तथ्यों को प्राप्त करने की लगन नहीं है। मैं मध्यप्रान्त का उदाहरण देता हूं। वहां की आदिवासियों की जनसंख्या के 1941 के आंकड़ों की अन्य आंकड़ों से तुलना करने से और 1921, 1931 तथा 1941 के आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि 1911 में जितनी जन संख्या थी उससे 1941 में 18 लाख कम हो गई है। मैं यह भली भांति जानता हूं कि आदिवासियों की जाति विनष्ट नहीं हो रही है। किन्तु बात यह है कि किसी समय गौड़ों को हिन्दुओं की श्रेणी में रखा जाता है और किसी समय आदिवासियों की श्रेणी में। प्रत्येक जनगणना में आंकड़े इस प्रकार बनाये जाते हैं। यदि शीघ्र ही इस देश में आंकड़े सच्चाई से और बिना किसी धार्मिक विद्वेष के प्राप्त किये जायेंगे तो उससे उसका हितसाधन होगा। भारतीय विधान-कांग्रेस के अन्तिम अधिवेशन में वैज्ञानिकों ने कहा कि कई लोग जो किसी प्रकार का धार्मिक अथवा राजनैतिक विद्वेष नहीं रखते यह जानना चाहते हैं कि इस देश में तीन करोड़ आदिवासी थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 1941 की जनगणना में वह संख्या कवेल 2 करोड़ 48 लाख रह गई। आप उनकी संख्या इससे पंचगुना मानें या न मानें किन्तु यह एक तथ्य है कि हमारे समाज के किसी भी ऐसे वर्ग को, जो आर्थिक अथवा राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है रक्षणों तथा ऐसे उपबन्धों की आवश्यकता है जिनके फलस्वरूप वह सामान्य स्तर पर आने में समर्थ हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इसी कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान रक्षित रखने के पक्ष में हूं। मुझे यह आशा नहीं है कि

दस वर्ष की अवधि में, जिसमें केवल दो सामान्य निर्वाचन हो सकेंगे, आदिवासी भारत के अन्य लोगों के स्तर पर आ जायेंगे और इस अवधि के पश्चात स्थानों के रक्षण की आवश्यकता न रह जायेगी। इस प्रकार के किसी चमत्कार में मेरा विश्वास नहीं है। सम्भव है हम जितनी प्रगति चाहते हैं उतनी प्रगति न हो सके। मेरी यह इच्छा थी कि दस वर्ष के पश्चात् इस विषय पर फिर विचार किया जाता और यह देखा जाता कि इस काल में जो दो निर्वाचन हुये हैं उनमें आदिवासियों और अनुसूचित जातियों का यथोचित प्रतिनिधित्व हुआ है या नहीं और वे सभी सभाओं में अपने दृष्टिकोण को अन्य लोगों के सामने रख सके हैं या नहीं तथा देश के राष्ट्रीय जीवन में अपना योग दे सके हैं या नहीं। इन प्रश्नों पर विचार करने के पश्चात् संसद इस सम्बन्ध में निर्णय कर सकती कि इन रक्षणों को समाप्त किया जाये अथवा दस, पन्द्रह या पच्चीस वर्ष आगे तक जारी रखा जाये। मेरी यही इच्छा थी किन्तु यदि अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह है तो मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता। उदारता तो इसी प्रकार दिखाई जा सकती है कि प्रान्तों और केन्द्र की सभी सभाओं में प्रवेश करने का उन्हें अवसर दिया जाये और उनके लिये केवल दो निर्वाचनों की सीमा न रखी जाये।

कुछ लोग यही दुहराते रहते हैं कि स्थानों के रक्षण की व्यवस्था में पृथकरण की भावना सन्निहित है। कुछ लोगों की यही टेक है और जब कभी किसी प्रकार का मतभेद होता है तो वे यह कहते हैं कि उसका आधार पृथकरण की भावना है। इस देश में प्रत्येक विद्रोही को साम्यवादी कहने की भी प्रथा चल पड़ी। इसी प्रकार हममें से वे लोग जो यह कहते हैं कि हमारे समाज के पिछड़े हुये वर्गों को सीधे रास्ते पर आगे बढ़ने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये न कि टेढ़े रास्ते पर और सीधा रास्ता स्थानों के रक्षण का ही रास्ता है, पृथकरणवादी कहे जाते हैं। अब तीन करोड़ आदिवासियों को शताब्दियों से राजनैतिक अछूत समझा गया है तो किसी को पृथकरण की चर्चा करने का मुंह नहीं है। किसी को आदिवासियों से यह कहने का मुंह नहीं है कि लोक-तन्त्र क्या है। आदिवासी समाज सबसे अधिक लोकतन्त्रात्मक है। क्या भारत के अन्य समाज भी यही कह सकते हैं? क्या वे लोग जो शताब्दियों से वर्णव्यवस्था के अधीन रहे हैं, ईमानदारी से कह सकते हैं कि उनका दृष्टिकोण लोकतन्त्रात्मक है? इस प्रकार के दृष्टिकोण के विकसित होने में समय लगता है। आदिवासी समाज में सब समान हैं, चाहे वे धनी हों या निर्धन। सबसे समान अवसर प्राप्त है और किसी को यह न समझना चाहिये कि इस संविधान का निर्माण करके तथा इसे प्रवर्तन में लाकर आदिवासी समाज को कोई नई विचारधारा प्रदान की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा था, वास्तव में हम यह कर रहे हैं कि हम कुछ बातें सीख रहे हैं। आदिवासियों के अतिरिक्त अन्य समाजों ने बहुत कुछ सीखा है और उन्हें बहुत कुछ सीखने की भी आवश्यकता है। आदिवासी सबसे अधिक लोकतन्त्र प्रेमी हैं और वे भारत की प्रतिष्ठा अथवा शक्ति को किसी प्रकार कम न होने देंगे। देश के विभाजन के लिये वे लोग उत्तरदायी नहीं हैं। आदिवासियों का सारे भारत पर

[श्री जयपाल सिंह]

अधिकार है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर सदस्यों को इस उदारतापूर्ण दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये और यह न समझना चाहिये कि वे रिआयत करने के उद्देश्य से सहमत हो रहे हैं। आपने ही उन्हें उनकी भूमि से निकाल बाहर किया है और ऐसी विधियां बनाई हैं जिनसे उनके अधिकार छिन गये हैं। आज स्थिति क्या है? आज आसाम में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार से निकाले हुये लगभग दस लाख लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकते क्यों फिर रहे हैं और वे अपनी रक्षा के सम्बन्ध में इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण यह है कि जो लोग आदिवासी नहीं हैं उन्होंने उनकी भूमि उनसे ठग कर ले ली है और अब भी वे उन्हें ठग रहे हैं।

इस देश के हित को तथा उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि भारत का प्रत्त्येक वर्ग, चाहे वह पिछड़ा हुआ हो या समुन्नत हो, अन्य वर्गों के साथ सहयोग करे और उनके साथ परिश्रम करे। इसके लिये यह आवश्यक है कि पिछड़े हुये वर्ग समुन्नत हों। पिछड़े हुये लोगों के लिये स्थानों का रक्षण बहुत आवश्यक है चाहे वे आदिवासी हों या अनुसूचित जातियों के लोग, चाहे वे जैन हों या मुसलमान। यदि आप यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें ऊंचा उठाने के लिये कुछ यत्न करने की तथा पलड़े को एक ओर झुकाने की आवश्यकता है तो पृथकरण का प्रश्न नहीं उठता। इसलिये आदिवासियों का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे रक्षण के सिद्धान्त को स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव नहीं होता। मुझे खेद है कि रक्षण की व्यवस्था केवल दस वर्ष के लिये की गई है क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस अवधि के पश्चात् भारत स्वर्ग नहीं हो जायेगा और दस वर्ष में न तो प्रत्येक व्यक्ति स्नातक हो जायेगा और न प्रत्येक व्यक्ति को राजनैतिक शिक्षा ही प्राप्त हो जायेगी। आवश्यकता इसकी है कि इस देश के पिछड़े हुये वर्गों को अपने पैरों खड़ा होने दिया जाये ताकि वे राष्ट्रीय जीवन में समुचित भाग ले सकें। इस संविधान का यह उद्देश्य नहीं है और मेरी भी यह इच्छा नहीं है कि समुन्नत समुदाय अतीत काल तक आदिवासियों का लालन-पालन करता रहे। हम केवल यह चाहते हैं कि जिस प्रकार अनुच्छेद 292 द्वारा साधन प्रदान किये गये हैं उसी प्रकार हमें कुछ अन्य साधन भी प्रदान किये गये हैं उसी प्रकार हमें कुछ अन्य साधन भी प्रदान किये जायें ताकि हम अपने पैरों पर खड़े होकर स्वस्थ चित्र हो सकें और भारत के लिये उपयोगी नागरिक सिद्ध हो सकें।

मुझे कई अन्य बातें भी कहनी हैं किन्तु मैं देखता हूं कि कुछ संशोधन अन्य अवसर के लिये स्थगित किये गये हैं और इसलिये मैं इस अवसर पर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। किन्तु मुझे इसका विश्वास है और मैं गैर-आदिवासियों को यह आश्वासन देता हूं कि यदि आपके उद्देश्य सच्चे होंगे और आप उन्हें अपने अधिकारों को प्रयोग में लाने का अवसर देंगे तो वे ऐसे कार्य कर दिखायेंगे जिनकी आपको आशा भी नहीं है।

***श्री आर.बी. धुलेकरः** वक्ता महोदय वास्तव में चाहते क्या हैं?

***श्री जयपाल सिंहः** मैं यह चाहता हूं कि श्री धुलेकर वैसे ही व्यवहार करें जैसे वे उस समय करते थे जब वे सेंट कोलम्बिया कॉलेज, हजारीबाग में पढ़ते थे और आदिवासियों से स्वतन्त्रता से मिलते जुलते रहते थे और कहते थे कि वे भारत के उत्कृष्ट नागरिक हैं। किन्तु इस समय आदिवासियों को बिल्कुल पृथक कर दिया गया है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग यह कहेंगे कि अंग्रेज उन्हें अजायबघरों में रखते थे। अब हमारी राष्ट्रीय सरकार शासन कर रही है। क्या इस समय भी उनके लिये अजायबघर नहीं है? पिछले बारह वर्षों से लोकप्रिय मंत्रिमंडल पदारूढ़ हैं। इस कलंक को मिटाने के लिये उन्होंने क्या किया है? क्या उन्होंने कुछ किया है? जब उप-समिति के सदस्यों ने दौरा किया था तो जहां कहीं वे गये उनके सामने प्रान्तीय सरकारों ने इस सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन उपस्थित किये कि वे आदिवासियों के लिये स्वर्ग खड़ा करने जा रहे हैं और उनकी गरीबी और बुरी-बुरी बीमारियों को दूर करने का प्रयास करने जा रहे हैं। एक प्रांत के प्रधान मंत्री ने मुझ से कहा कि किसी एक जिले के आदिवासियों की हालत अच्छी करने के लिये उन्होंने 20 लाख रुपये की राशि अलग रखी है। मैंने उनसे पूछा कि पिछले आठ महीनों में आपने कितना खर्च किया है। उन्होंने कहा "अभी हमने योजनाएं ही बनाई हैं किन्तु हमें आशा है कि कागजी कार्यवाही पूरी हो गई होगी"। वास्तव में केवल कागजी कार्यवाही ही होती है। हम चाहते हैं कि इन लोगों के लिये ठोस काम किया जाये। कुछ लोगों का यह विचार है कि कुछ शिक्षालय खोल देने से और कुछ छात्रवृत्तियां दे देने से वे आदिवासियों को बहुत समुन्नत बना देंगे। पिछड़े हुए लोगों की वास्तव में आर्थिक स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। यदि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाये तो वे अपनी शिक्षा का प्रबन्ध स्वयं कर सकेंगे।

श्रीमान, आपकी अनुमति से मैं इस सभा में उपस्थित उन प्रान्तों के प्रधानमंत्रियों से, जहां आदिवासियों की संख्या अधिक है, यह कहना चाहता हूं कि आदिवासियों और अन्य पिछड़े हुए लोगों की स्थिति सुधारने के लिये वे लाखों रुपये की जिस धन-राशि को अलग रखना चाहते हैं उससे तब तक कुछ लाभ न होगा जब तक कार्यकर्ता वास्तविक हितसाधन की दृष्टि से कार्य न करें। मुझे विदित है कि मेरे प्रान्त में, अर्थात् बिहार में, सुधार का सब काम राजनैतिक उद्देश्यों से किया जाता है। दुर्भाग्य से बिहार में तीन समुदाय हैं जिनका आपस में संघर्ष रहता है। एक का खिंचाव पूर्व में बंगाल की ओर है तो दूसरे का दक्षिण में झारखंड की ओर और तीसरे का उत्तर में हिमालय की ओर। पूर्वी और दक्षिणी समूहों को समाप्त करने के लिये लाखों रुपये खर्च किया जा रहा है और वह पिछड़े हुए वर्गों की स्थिति सुधारने के नाम से। अध्यक्ष महोदय, इसका प्रमाण है कि मनभूम, पालामाऊ, रांची, हजारी बाग और अन्य जिलों में अग्रगण्य कांग्रेसियों ने.......

*श्री **विश्वनाथ दासः** (उड़ीसाः जनरल): क्या इन बातों का विचाराधीन विषय से कोई सम्बन्ध है?

*श्री **नज़ीरुद्दीन अहमदः** (पश्चिमी बंगालः मुस्लिम): इस सम्बन्ध में प्रत्येक सच्ची बात प्रासंगिक है।

*श्री **जयपाल सिंहः** लोगों के हितसाधन के लिये नहीं बल्कि सुधारकों की सेनाएं खड़ी करने में लाखों रुपये व्यय किया जा रहा है। यह धन वेतनों, मोटरों और प्रचार-गाड़ियों में व्यय हो जाता है। आदिवासियों को स्वयं कोई लाभ नहीं होता। यह आन्दोलन अधिक अन्न उपजाओं के आन्दोलन के समान ही है। इस आन्दोलन में हम जितना धन व्यय कर रहे हैं उससे अनाज का एक दाना भी अधिक पैदा होता तो इसे एक सफल आन्दोलन कहा जा सकता था। किन्तु बात दूसरी ही है।

सदस्यों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रति उदारता दिखाकर उनके लिये इसलिये स्थान रक्षित रखे कि, जैसा कि आपने रामगढ़ में कहा था, ये लोग किसी कारण अलग रहे हैं। अब ये देश के मुख्य भाग में प्रवेश करने के लिये बाध्य हो जायेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि वे भी इस देश को समुन्नत बनाने में अपना योग दे सकेंगे मुझे यह विदित है कि कुछ प्रदेशों में संकट की आशंका है। आसाम में संकट की आशंका थी और पश्चिमी बंगाल में भी इस प्रकार की आशंका थी। जब श्री खेतान ने अपना संशोधन उपस्थित किया था या यों कहिये कि एक संशोधन की सूचना दी थी, तो उस समय, क्योंकि वे अब हमारे बीच में नहीं रह गये हैं, मैंने उनसे इस विषय पर बातचीत की थी कि वे पश्चिमी बंगाल में अनुसूचित जातियों के लिये किस कारण स्थानों का रक्षण नहीं चाहते। उनकी यह सच्ची भावना थी कि उनके लिये रक्षण न होना चाहिये। उन्होंने यह कहा कि यदि अनुसूचित जातियों के लोग किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ मिल जायेंगे तो उच्च वर्ग के लोग कहीं के न रह जायेंगे। आसाम के एक सदस्य महोदय ने इस प्रकार का भय प्रकट किया है। मैं इसे अच्छी प्रकार जानता हूं कि प्रश्न यह नहीं है कि चूंकि हम आदिवासियों के लिये स्थान रक्षित कर चुके हैं इसलिये उन्हें सामान्य स्थानों के लिये खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। यह प्रश्न नहीं है। हमें सच्चाई से विचार करना चाहिये। आसाम के उच्च वर्गों को यह भय है कि यदि अनुसूचित जातियों के लोग आदिवासियों से मिल गये और ये लोग सामान्य स्थानों के लिये भी खड़े हुए तो उच्च वर्गों के लोग पदारूढ़ न रह जायेंगे।

मेरे विचार से वास्तविक बात यही है। किन्तु मेरा सभी लोगों से यह अनुरोध है कि वे किसी प्रकार के भय से प्रेरित होकर इस प्रश्न पर विचार न करें। हमें अपने साथियों से भय न करना चाहिये क्योंकि यदि हम उनका विश्वास न

करेंगे। तो हम उनसे इसकी आशा नहीं कर सकते कि वे हमारा विश्वास करेंगे। पहले हमारी परिस्थिति भिन्न थी। अब हम अपने देश के भाग्य विधाता हैं। पहले जो कुछ बीता है वह बीत चुका है। हो सकता है कि उसके लिये हम दोषी हों अथवा विदेशी शासकों ने हमारे साथ शरारत की हो। अब सब कुछ हमारे हाथ में है। अब हम स्वयं प्रभु हैं। किन्तु यदि हम अब भी भय करते हैं और कुछ पीछे हटकर अन्य लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं तो हम गलत रास्ते पर हैं।

डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 292 के सम्बन्ध में जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं बड़े हर्ष से समर्थन करता हूं।

***अध्यक्ष:** बहस समाप्त करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जा चुका है।

(इस अवसर पर कई माननीय सदस्य बोलने के लिये उठे।)

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से श्री जयपाल सिंह ने जो कुछ कहा है उस पर वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है।

***माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय** (बिहार: जनरल) उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं है जिनका मैं विरोध करना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** आपको किसी अन्य अवसर पर इसके लिये समय मिल जायेगा।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (बिहार: जनरल): मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि स्टेट्समैन समाचार पत्र में इस आशय की सम्पादकीय टिप्पणियां की गई हैं कि कुछ सारवान अनुच्छेदों को जल्दी में स्वीकार किया जा रहा है और बहस समाप्त करने के प्रस्तावों को उपस्थित किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद और केवल दो तीन वक्ताओं ने सामान्य वाद-विवाद में भाग लिया हैं। अन्य वक्ताओं को भी बोलने की आज्ञा मिलनी चाहिये। आप बहस समाप्त करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने में समर्थ हैं।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से यह आलोचना निराधार है कि हम किसी अनुच्छेद को जल्दी में स्वीकार कर रहे हैं। अपनी ओर से मैंने सभी सदस्यों को पूर्ण अवसर तथा पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। वास्तव में इस सम्बन्ध में मैंने आवश्कता से अधिक उदारता दिखाई है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** किसी भी वर्ग की ओर से इस प्रकार सुझाव नहीं रखा गया है। यह बात अवश्य है कि लोग अधिक बोलना चाहते हैं।

***अध्यक्ष:** जहां तक इस अनुच्छेद विशेष का सम्बन्ध है, हम इस पर दो दिन तक विचार कर चुके हैं और इस विषय में अन्य सामान्य बातों की चर्चा करना पहले कही हुई बातों की पुनरुक्ति ही होगी। इसलिये इस अनुच्छेद पर अधिक विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि कुछ सदस्यों को वक्ताओं की कुछ बातों के सम्बन्ध में कुछ कहना है, अथवा उनका विरोध करना है, तो सम्भवत: किसी अन्य अनुच्छेद पर विचार करते

[अध्यक्ष]

समय उन्हें इसके लिये अवसर मिल जायेगा और वे उस अवसर से लाभ उठा सकते हैं।

***माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकल्स राय:** आदिम जातियों के लोगों के सम्बन्ध में इस सभा को कुछ गलत सूचना दी गई है। इस समय उसे ठीक सूचना दे दी जानी चाहिये।

***अध्यक्ष:** यह प्रश्न केवल किसी ऐसी सूचना की त्रुटि को दूर करने का है जो गलती से दी गई हो। मैं केवल इस त्रुटि को दूर करने के लिये समय दे सकता हूं।

***श्री जगत नारायण लाल** (बिहार: जनरल): बहस समाप्त करने के प्रस्ताव के स्वीकार होने पर भी अध्यक्ष महोदय एक दो भाषणों के लिये समय दे सकते हैं। मेरे विचार से यह उचित नहीं है कि इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उसका खण्डन किसी अन्य अनुच्छेद पर विचार-विमर्श होते समय किया जाये। इसलिये श्रीमान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस विषय पर इसके पूर्व बोलने वाले वक्ता महोदय के विचारों पर मत प्रकट करने के लिये केवल एक और वक्ता को अवसर दिया जाये।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से जो बातें कहीं गई हैं उनका खण्डन करने मात्र से कुछ लाभ न होगा।

***माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकल्स राय:** श्रीमान, आसाम में आदिम-जातियों के तीन वर्ग हैं और इन सबकी जनसंख्या 23 से 24 लाख तक होगी। आठ लाख मैदानों में बसते हैं, आठ लाख पहाड़ी क्षेत्रों में बसते हैं और शेष आठ लाख चाय बगानों में बसते हैं। चाय बगानों में बसने वाले आदिम-जातियों के लोग सामान्य जनता में भी सम्मिलित किये गये हैं। इसका यह परिणाम होगा कि जो स्थान रक्षित किये गये हैं वे मैदानों में बसने वाले आठ लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में बसने वाले आठ लाख लोगों को ही प्राप्त होंगे। जहां तक मैदानों में बसने वाले अदिम-जातियों के आठ लाख लोगों का सम्बन्ध है आसाम की प्रान्तीय कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी इसके लिये सहमत हो गई है कि वे सामान्य निर्वाचन-क्षेत्रों से खड़े हों। मेरे माननीय मित्र आसाम के प्रधान मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि वे यह नहीं चाहते हैं कि सामान्य स्थानों के लिये खड़े होने के लिये मैदानों में बसने वाले आदिम-जातियों के लोगों के लिये कोई प्रतिबन्ध रखा जाये।

इसलिये, श्रीमान, पंडित भार्गव ने आसाम की आदिम-जातियों के लोगों को सामान्य निर्वाचन-क्षेत्रों से खड़े होने से रोकने के उद्देश्य से जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं विरोध करता हूं।

***सरदार भूपेन्द्र सिंह मान** (पूर्वी पंजाबः सिख): चूंकि कई संशोधन उपस्थित किये गये हैं, इसलिये मेरे विचार से इन संशोधनों का विरोध करने के लिये कुछ समय दिया जाना चाहिये।

***अध्यक्षः** जैसा कि मैं कह चुका हूं, इस प्रश्न पर सभा ने दो दिन तक विचार किया है और सभा के प्रत्येक वर्ग को सामान्य सिद्धान्तों पर मत प्रकट करने का अवसर मिल चुका है। डॉ. अम्बेडकर ने सभा के सम्मुख जो संकल्प रखा है उसमें इन्हीं सिद्धान्तों का सन्निवेश किया गया है। मेरे विचार से अधिक वाद-विवाद से सदस्यों को कोई लाभ न होगा। इसलिए मैं डॉ. अम्बेडकर से बोलने के लिए कहता हूं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** अध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं और वाद-विवाद में जो प्रश्न उठाये गये हैं वे मेरे विचार से बिल्कुल अप्रासंगिक हैं। वे उस समय उठाये जा सकते हैं जब हम निर्वाचन-सम्बन्धी विधियों पर और निर्वाचन-क्षेत्रों को निश्चित करने के सम्बन्ध में विचार करेंगे। इसलिए मैं उन्हें इस समय नहीं उठाने जा रहा हूं।

केवल तीन प्रश्न ऐसे हैं जिनका मेरे विचार से उत्तर देना आवश्यक है। एक प्रश्न श्री लस्कर ने अपने संशोधन द्वारा उठाया है। उनके संशोधन का आशय यह है कि "आसाम की अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त" शब्द प्रविष्ट किये जाये। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया कि वे किस उद्देश्य से इन शब्दों को प्रविष्ट कराना चाहते हैं। यदि इन शब्दों को प्रविष्ट किया गया तो इसका अर्थ यह होगा कि केन्द्रीय संसद के अवर सदन में आसाम की अनुसूचित जातियों को इस अनुच्छेद द्वारा जो प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा रहा है वह उन्हें प्राप्त न हो सकेगा। यदि "आसाम की अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त" शब्दों को बिना किसी परन्तुक के प्रविष्ट किया गया तो मैं कह नहीं सकता कि इसका आसाम की अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करने के अतिरिक्त अन्य क्या प्रभाव होगा। यदि मैं प्रस्तावक महोदय के आशय को ठीक समझ पाया हूं तो मेरे विचार से जो प्रश्न उन्होंने उठाया है उसका वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 67 (ख) से सम्बन्ध है, जो पारित हो चुका है। उस अनुच्छेद में यह उपबन्धित है कि विधान-मंडल में जिस अनुपात से प्रतिनिधित्व होगा उसका जनसंख्या से स्पष्टतः कुछ सम्बन्ध होना चाहिये। यह निर्धारित किया गया है कि केन्द्र के अवर सदन में प्रति 7,50,000 जनसंख्या के लिए कम से कम एक प्रतिनिधि होगा और प्रति 5,00,000 जनसंख्या के लिए एक से अधिक सदस्य न होगा। मुझे यह कह देना चाहिए कि वे जो कुछ कह रहे थे उसे मैं बिल्कुल नहीं सुन सका किन्तु किसी प्रकार उनके आशय को मैंने समझ ही लिया और मुझे यह प्रतीत होता है कि उनकी धारणा यह है कि सिलहट के जिले के विभाजित होने से आसाम में अनुसूचित

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

जातियों की जनसंख्या बहुत कम हो गई है और 7,50,000 की अथवा 5,00,000 की हमने जो संख्या निश्चित की है उतनी संख्या उन लोगों की होगी ही नहीं और उनके मतानुसार इसका यह परिणाम होगा कि आसाम की अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व ही न होगा। किन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 67 (5) (ख) के उपबन्ध अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में प्रयुक्त नहीं होते। यह अनुच्छेद निर्वाचन-क्षेत्रों के सम्बन्ध में है। उसका अर्थ यह है कि यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में 7,50,000 लोग हैं तो उस निर्वाचन क्षेत्र को एक स्थान प्राप्त होगा। यह हो सकता है कि उस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या बहुत कम हो किन्तु इससे सीमांकन समिति अथवा संसद के लिए उस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिये एक स्थान बांट में देने में कोई बाधा न होगी। इसलिए, मेरे विचार से उनका भय निराधार है।

अब मैं उस संशोधन को उठाता हूं जिसे सरदार हुक्म सिंह ने उपस्थित किया है और जिसमें यह सुझाव रखा गया है कि इस उद्देश्य से उपबन्ध रखने चाहिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के लोग उन स्थानों के लिए भी खड़े हो सकें जो सामान्यत: उनके लिए रक्षित न रखे गये हों। उन्होंने यह कहा कि मसौदा-समिति ने जानबूझकर इसकी उपेक्षा की है। मेरे विचार से यह सच नहीं है। यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के लोग उन स्थानों के लिए भी खड़े हो सकेंगे जो रक्षित स्थान नहीं हैं और अरक्षित हैं। यह मंत्रणा-समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित है और इसे सभा स्वीकार कर चुकी है। अनुच्छेद 292 में इस प्रकार का उपबन्ध इस लिए नहीं रखा गया है कि वह इस स्थल पर अप्रासंगिक होगा। इस आशय का उपबन्ध निर्वाचन-सम्बन्धी विधि में स्थान पायेगा, जिसे यह सभा, अथवा यों कहिये कि विधान सभा के रूप में वह सभा, निर्मित करगी। इसलिए उन्हें इस कारण किसी प्रकार का भय होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पिल्ले ने यह कहा है कि एक नवीन जनगणना के आधार पर स्थान रक्षित किये जाने चाहिये। यह प्रश्न इस सभा में कई अवसरों पर उठाया गया था और उन अवसरों पर मैंने यह कहा था कि सरकार नवीन जनगणना के सम्बन्ध में वचन नहीं दे सकती किन्तु इस बारे में सरकार का हमेशा ही उदार दृष्टिकोण रहा है। यदि सम्भव होगा तो सरकार यह जानने के लिये कि अनुच्छेद 292 के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों का कुल प्रतिनिधित्व क्या होगा एक नवीन जनगणना करेगी। सरकार ने यह भी सुझाव रखा है कि यदि कहीं नवीन जनगणना करना सम्भव न होगा तो वह समुदायों की जनसंख्या का अनुमान मतदाताओं की संख्या के आधार पर लगायेगी। इस प्रकार लगायेगी। इस प्रकार मोटी तौर पर जनसंख्या का अनुमान लगाया जा सकेगा। मेरी समझ से मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता।

अन्य सभी संशोधनों का मैं विरोध करता हूं।

***प्रो. एन.सी. लस्कर:** श्रीमान, मैं अपना संशोधन संख्या 24 वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधन संख्या 22 में प्रस्तावित अनुच्छेद 292 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाये:

'Provided that the constituencies for the seats reserved for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall comprise so far as possible, such contiguous areas where they are comparatively more numerous than in other areas. '

(परन्तु अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये रक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों ने यथाशक्य ऐसे मिले-जुले क्षेत्र होंगे जिनमें उनकी जनसंख्या अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होगी।)' "

संशोधन गिर गया।

***सरदार हुकम सिंहः** श्रीमान, मैंने अपने संशोधन संख्या 77 में जो सुझाव रखा है वह यदि अन्यत्र उपबन्धित कर दिया गया है तो मैं उस पर मत लेने के लिये जोर नहीं देता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

***श्री बी.आई. मुनिस्वामी पिल्लेः** श्रीमान, माननीय डॉ. अम्बेडकर की स्पष्ट व्याख्या को दृष्टि में रखते हुए मैं संशोधन संख्या 94 को वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** संशोधन संख्या 95 का आशय भी उसी संशोधन के आशय के समान है जिसे सभा अस्वीकार कर चुकी है। प्रस्ताव यह है कि:

'Provided that for the calculation the balance of the proportion is more than half of what it requires to obtain one seat, one seat shall be allotted and if it is less than half it shall be ignored.

(परन्तु गणना के लिये यदि अनुपात का शेष उस संख्या से अधिक हो जो एक स्थान प्राप्त करने के लिये आवश्यक है तो बांट में एक स्थान दिया जायेगा किन्तु यदि वह आधे से कम हो तो उसकी उपेक्षा की जायेगी।)' "

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधन संख्या 225 में खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित नवीन खण्ड जोड़ दिया जाये:

'(3) the reservation of seats shall, as far as possible, be seemed by single member territorial constituences.

[(3) स्थानों की रक्षता, यथा सम्भव, एक सदस्य वाले प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर होगा।]' "

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधन संख्या 225 में अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाये।

'provided that the members of the Scheduled Tribes in Assam will not have the right to contest general seats.

(परन्तु आसाम की अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को सामान्य स्थानों के लिये खड़े होने का अधिकार नहीं होगा।)' "

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित अनुच्छेद 292 संविधान का अंग बना दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

अनुच्छेद 292 संविधान का अंग बना लिया गया।

अनुच्छेद 293

(संशोधन संख्या 3118 से लेकर 3121 तक उपस्थित नहीं किये गये।)

***श्री मोहम्मद ताहिर** (बिहार: मुस्लिम): श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि.........

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास: जनरल): श्रीमान, मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है। इस संशोधन का वास्तव में विचाराधीन अनुच्छेद से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका अनुच्छेद 293 के विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

***श्री मोहम्मद ताहिर:** अनुच्छेद 292 स्थानों के रक्षण के सम्बन्ध में है। अनुच्छेद 293 इस प्रकार है:

"इस संविधान के अनुच्छेद 67 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की राय हो कि लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक सभा में समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नाम-निर्देशित कर सकेगा।"

इन अनुच्छेदों के अधीन प्रतिनिधित्व निश्चित किया गया है और विभिन्न समुदायों को रक्षण प्रदान किया गया है। इसी प्रसंग में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन अल्पसंख्यक समुदायों के लिये स्थान रक्षित किये गये हैं उन लोगों के सामान्य निर्वाचन-क्षेत्रों से भी निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिये। यह संशोधन तर्कसंगत है और इस विषय की चर्चा इसी स्थल पर हो सकती है। इसके फलस्वरूप अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी खड़े होने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से यह प्रश्न अनुच्छेद 293 के प्रसंग में नहीं उठता क्योंकि वह केवल आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में है। मेरे विचार से आप इस प्रसंग में उन अन्य समुदाय के लोगों के सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से खड़े होने के अधिकार की चर्चा नहीं कर सकते जिनके लिये स्थान रक्षित किये गये हैं। संशोधन नियमानुकूल नहीं है।

***श्री मोहम्मद ताहिर:** श्रीमान, मुझे आपका निर्णय शिरोधार्य है।

***सरदार हुकम सिंह:** श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3119 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 293 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये:

'293. Notwithstanding anything contained in article 67 of this Constitution the President may, if he is of opinion that any minority community is not adequately represented in the House of People, nominate an adequate number of members of that community of the House of the People.

(इस संविधान के अनुच्छेद 67 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की राय हो कि लोक सभा में किसी अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक सभा में उस समुदाय के पर्याप्त सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा।)' "

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रान्त और बरार: जनरल): मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है। इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि जिस अल्पसंख्यक समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हुआ हो इसके प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति नाम निर्देशित कर सकता

[श्री आर.के. सिधवा]

है। श्रीमान, अल्पसंख्यकों के निर्वाचन के सम्बन्ध में यह सभा निर्णय कर चुकी है। हमने यह निर्णय किया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम-जातियों और आंग्ल-भारतीयों के अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व न हो। यह निर्णय अनुच्छेद 67 में सन्निविष्ट है अनुच्छेद 67 में जो निर्णय सन्निविष्ट है उसे उल्टा नहीं जा सकता। यदि आप उस अनुच्छेद पर फिर विचार करेंगे तो बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो जायेंगी। यदि राष्ट्रपति की यह धारणा हो कि किसी समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो उसे स्वेच्छा से निर्णय करना चाहिये। आप यह नहीं कह सकते कि किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के लोग राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे। इससे इस सभा के निर्णय का खण्डन होगा। अनुच्छेद 67 को स्वीकार करने के पश्चात् यदि आप इस संशोधन को उपस्थित करने की आज्ञा देंगे तो यह एक खतरनाक उदाहरण सिद्ध होगा। उसे स्वीकार करने के पश्चात् परोक्ष में अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही करने की आज्ञा न दी जानी चाहिये। मैं इस कारण भी इसका विरोध करता हूं कि जब सभा अल्पसंख्यकों के प्रश्न के सम्बन्ध में निर्णय कर चुकी है तो उसे फिर न उठाया जाना चाहिये।

***अध्यक्षः** सरदार हुक्म सिंह, क्या आप इस औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं?

***सरदार हुकम सिंहः** मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र ने जो औचित्य प्रश्न उठाया है उसमें कुछ सार नहीं है। अनुच्छेद 293 के अधीन हम राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हुआ तो वह उसके दो प्रतिनिधियों को नाम-निर्देशित करे। मेरे संशोधन का आशय यह है कि यह शक्ति आंग्ल-भारतीय समुदाय तक ही सीमित न रहे। यदि निर्वाचनों में उस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जाये और अन्य किसी समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हुआ तो राष्ट्रपति को उस समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की वैसी ही शक्ति प्राप्त होनी चाहिये जैसी कि उसे आंग्ल ये भारतीय समुदाय के सम्बन्ध में है। मैं नहीं चाहता कि जो उपबन्ध पारित किये जा चुके हैं उन्हें उलटा जाये। किन्तु इस अनुच्छेद में हम यह उपबन्धित कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को नाम-निर्देशन की इस प्रकार की शक्ति प्राप्त हो। मेरे विचार से सभी निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाएं निश्चित कर दी गई हैं। इन निर्वाचन-क्षेत्रों की जो संख्या निश्चित कर दी गई है उसे हम बढ़ा नहीं सकते। किन्तु अनुच्छेद 293 में इस आशय का उपबन्ध रखा जा रहा है कि राष्ट्रपति को दो स्थानों के लिये लोगों को नाम निर्देशित करने की शक्ति प्राप्त होगी। जब कभी वह यह देखेगा कि आंग्ल-भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, वह उस समुदाय के दो लोगों को नाम-निर्देशित कर सकेगा। मेरा उद्देश्य यह है कि यह न कहा जाये कि केवल आंग्ल-भारतीय समुदाय को विशेष प्रकार से रक्षता प्रदान किया जाता है बल्कि यह कहा जाये कि यदि कोई अन्य समुदाय भी इसी स्थिति में हो तो उसके भी दो तीन अथवा

चार प्रतिनिधि नाम-निर्देशित किये जायेंगे। यदि यह देखा जाये कि आंग्ल-भारतीय समुदाय का यथोचित प्रतिनिधित्व हुआ है और किसी अन्य समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो क्या न्याय की दृष्टि से राष्ट्रपति को उस समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान न करना चाहिये?

*__अध्यक्षः__ मैं सरकार हुक्म सिंह के इस कथन से सहमत हूं कि इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर हित-रक्षा के लिये अनुच्छेद 293 के अधीन नाम-निर्देशन का जो विशेषाधिकार प्रदान किया गया है वह अन्य समुदायों को भी प्रदान किया जाये। मेरे विचार से यह संशोधन नियमानुकूल है।

*__सरदार हुकम सिंहः__ श्रीमान, मैं आरम्भ में ही यह कह देना चाहता हूं कि आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये जो रिआयत की जा रही है उस पर मुझे कुछ आपत्ति नहीं है। मैं यह समझता हूं कि उस समुदाय की जनसंख्या बहुत कम है। मैं यह भी जानता हूं कि उस समुदाय के लोग देश के विभिन्न भागों में बिखरे हुए हैं। मैं यह समझता हूं कि उनके निर्वाचित होने की सम्भावना बहुत कम है और मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं कि उनके साथ सबसे पहले रिआयत की जानी चाहिये। यदि उनके मामलों पर सबसे पहले विचार करने के बारे में राष्ट्रपति को निदेश दिये जायें तो मैं इसका भी विरोध नहीं करता हूं। किन्तु मेरा निवेदन यह है कि उनके हितों के रक्षण के पश्चात् यह भी सम्भव है कि उन्हें अपनी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये। जब हमने अपने सम्मुख असाम्प्रदायिक राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति निर्वाचन में खड़ा हो सकेगा और मत दे सकेगा तो सम्भावना इसकी भी है कि इस छोटे से समुदाय को यथोचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये और किसी अन्य समुदाय का यथोचित प्रतिनिधित्व न हो। मेरे विचार ये यह तर्कसंगत है कि राष्ट्रपति को इस प्रकार के समुदाय को कुछ प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यक्ति प्राप्त होनी चाहिये। सब कुछ मतदाताओं की सनक पर निर्भर रहेगा। कोई भी उत्तरदायी व्यक्ति यह समझ सकता है कि मतदाता इसकी चिंता नहीं करते कि किसी समुदाय के साथ न्याय हो रहा है या नहीं। इस विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा यह निवेदन है कि राष्ट्रपति को इस शक्ति को स्वेच्छा से प्रयोग करने का अधिकार दिया जाये यद्यपि वह आंग्ल-भारतीय समुदाय की ओर सबसे पहले ध्यान दे। उनके साथ यह रिआयत करने के सम्बन्ध में मुझे कुछ आपत्ति नहीं है। किन्तु यह शक्ति एक सामान्य शक्ति होनी चाहिये ताकि यदि किसी समुदाय का यथोचित प्रतिनिधित्व न हुआ हो तो राष्ट्रपति उसे कुछ प्रतिनिधित्व प्रदान कर सके।

*__अध्यक्षः__ श्री शाह ने एक संशोधन की अर्थात् संशोधन संख्या 104 की सूचना दी है जिसका आशय यह है कि वह अनुच्छेद निकाल दिया जाये। यह संशोधन नहीं उपस्थित किया जा सकता। माननीय सदस्य महोदय इस अनुच्छेद के विरुद्ध

[अध्यक्ष]

मत दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त 10 जुलाई, 1941 की छपी हुई सूची में दो संशोधन दिये हुए है। मैं समझता हूं कि वे नहीं उपस्थित किये जा रहे हैं। यदि कोई सदस्य बोलना चाहते हैं तो वे अब बोल सकते हैं।

***श्री आर.के. सिधवा:** अध्यक्ष महोदय, यह अनुच्छेद केवल आंग्ल-भारतीय समुदाय के सम्बन्ध में है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 67 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की राय हो कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक सभा में उस समुदाय के दो से अधिक सदस्य नाम-निर्देशित कर सकेगा। यह अनुच्छेद एक समुदाय के सम्बन्ध में है और इसमें प्रतिनिधियों की संख्या का भी उल्लेख है। राष्ट्रपति दो से अधिक प्रतिनिधि नाम-निर्देशित नहीं कर सकता है। अन्य समुदायों के सम्बन्ध में मेरे मित्र कहते हैं कि यदि किसी समुदाय का यथोचित प्रतिनिधित्व ने हुआ हो तो राष्ट्रपति को उस समुदाय के प्रतिनिधियों को नाम-निर्देशित करने का अधिकार होगा। श्रीमान, इससे इस सभा ने पहले जो निर्णय किया था उसाका खण्डन हो जायेगा। हमने यह निर्णय किया है कि अल्पसंख्यकों ने स्वेच्छा से विशेष प्रतिनिधित्व के अधिकारों को त्याग दिया है। अब यह कहना कि राष्ट्रपति इन अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को नामनिर्देशित करे और यह संविधान में ही उपबन्धित कर दिया जाये, इस निर्णय का खण्डन करना है। मेरी यह प्रबल धारणा है कि यदि हम इस अनुच्छेद को संविधान में प्रविष्ट करते हैं अर्थात इस संशोधन को स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ यह होगा यद्यपि विभिन्न समुदायों ने विशेष प्रतिनिधित्व के अधिकार को त्याग दिया है और यह कि इस सभा की यह इच्छा है कि राष्ट्रपति इन समुदायों के लोगों को नाम-निर्देशित करे। किन्तु सभा की यह इच्छा नहीं है। इस सभा ने नाम-निर्देशन तथा स्थानों के रक्षण की प्रणाली को अस्वीकार कर दिया है। उसने आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये नाम-निर्देशन की व्यवस्था विशेष रूप से की है। इस निर्णय के पश्चात् यदि हम अब इस संशोधन को स्वीकार करेंगे तो हम अपने निर्णय का खण्डन करेंगे। मुझे आशा है कि सभा इसे बिना कुछ आगा पीछा किये हुए अस्वीकार कर देगी।

कुछ अन्य संशोधन भी उपस्थित किये जाने वाले हैं। मेरे मित्र श्री नागप्पा भी यदि अल्पसंख्यक समुदायों को यथोचित प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया तो उनके प्रश्न को उठाने वाले हैं। अल्पसंख्यक समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया और उसने तथा इस सभा ने एकमत से यह निर्णय किया कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिये नाम-निर्देशन की तथा स्थानों के रक्षण की व्यवस्था न रखी जाये। हमें उस निर्णय की भावना के विपरीत कोई कार्यवाही न करनी चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि यह संशोधन बिना किसी संकोच के अस्वीकार कर देना चाहिये।

*श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर (मद्रासः जनरल): श्रीमान, यदि हम सरदार हुकम सिंह का संशोधन स्वीकार करेंगे तो सारी लोक सभा में नाम निर्देशित सदस्यों का ही बाहुल्य हो जायेगा। इस अनुच्छेद में केवल एक अपवाद किया गया है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का लोक सभा के लिये नाम निर्देशन एक अपवाद है। मेरे विचार से उद्देश्य यह नहीं है कि इस अपवाद को चिरस्थाई किया जाये अथवा इसे अधिक विस्तृत करके इसे अन्य समुदायों के सम्बन्ध में भी प्रयुक्त किया जाये। अनुच्छेद इस प्रकार हैः

"इस संविधान के अनुच्छेद 67 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की राय हो कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक सभा में उस समुदाय के दो से अधिक सदस्य नाम-निर्देशित कर सकेगा।"

अन्य समुदायों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में पांच लाख लोग हों तो उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिये एक प्रतिनिधि निर्वाचित हो सकता है। अन्य समुदाय अर्थात् मुसलमानों का समुदाय, भारतीय ईसाइयों का समुदाय अथवा सिक्खों का समुदाय इतना छोटा नहीं है कि उसका इस आधार पर प्रतिनिधित्व ही न हो सके। आंग्ल-भारतीय समुदाय के सम्बन्ध में यह बात नहीं कहीं जा सकती है। सारे भारत में उनकी जनसंख्या पांच लाख भी न होगी। आप कोई भी ऐसा निर्वाचन-क्षेत्र नहीं बना सकते जहां उनका बहुमत है। चूंकि निर्वाचन द्वारा उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, इसलिये इस अपवाद को स्थान देना पड़ा। मूल रूप में अनुच्छेद 292 में यह उपबन्धित था कि मुसलमानों के भारतीय ईसाइयों के तथा अन्य लोगों के समुदायों के लिये भी स्थान रक्षित किये जायेंगे। किन्तु उन्होंने स्वेच्छा से इसका परित्याग कर दिया और अब केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान रक्षित किये जायेंगे। सम्भव है कि इन जातियों के लोग निर्वाचनों में साधारणतया निर्वाचित न हों। इसी कारण उनके लिये कुछ स्थान रक्षित किये गये हैं। मेरा यह निवेदन है कि आंग्ल भारतीय समुदाय एक विशेष स्थिति में है। यह समुदाय बहुत समुन्नत है किन्तु इसकी जनसंख्या अधिक नहीं है। वे कुछ काल तक इस देश के शासन में हिस्सेदार रहे हैं और इसलिये कुछ काल तक उनके साथ कुछ पक्षपात बरतना चाहिये। कुछ हितों के लिये उत्तर सदन में नाम-निर्देशन की व्यवस्था रखी गई है किन्तु उत्तर सदन की विषहीन बनाया गया है। जहां तक अपर सदन का सम्बन्ध है उसमें नामनिर्देशन की व्यवस्था न होनी चाहिये। आंग्ल-भारतीय समुदाय का मामला एक अपवाद है और उनके लिये जो व्यवस्था रखी गई है उसे किसी कारण से विस्तृत करके अन्य समुदायों के सम्बन्ध में प्रयुक्त न करना चाहिये। इसका भी कोई कारण नहीं है कि इन समुदायों ने जिन बातों का स्वेच्छा से परित्याग किया है उन्हें वे नाम-निर्देशन की व्यवस्था द्वारा प्राप्त करना चाहें। अपर-सदन में दो से अनधिक की संख्या एक नगण्य संख्या है। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*__अध्यक्षः__ डॉ. अम्बेडकर।

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः__ मेरे विचार से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं कुछ कहूं।

*__अध्यक्षः__ प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3119 के सम्बन्ध में अनुच्छेद 293 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये:

'293. Notwithstanding anything contained in article 67 of this Constitution the President may, if he is of opinion that any minority community is not adequately represented in the House of the People, nominate an adequate number of members of that community to the House of the People.

[इस संविधान के अनुच्छेद 67 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की राय हो कि लोक सभा में किसी अल्प-संख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक सभा में उस समुदाय के पर्याप्त सदस्य नाम-निर्देशित कर सकेगा।]' "

संशोधन गिर गया।

*__अध्यक्षः__ प्रस्ताव यह है कि :

"अनुच्छेद 293 संविधान का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

अनुच्छेद 292 संविधान का अंग बना लिया गया।

अनुच्छेद 224

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः__ श्रीमान मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"अनुच्छेद 294 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:

'294 (1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, except the Scheduled Tribes in the tribal areas of Assam in the Legislative Assembly of every State for the time being specified in Part I or Part III of the First Schedule.

Reservation of seats for minorities in the Legislative Assemblies of the states

(2) Seats shall be reserved also for the autonomous districts in the Legislative Assembly of the State of Assam.

(3) The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any State under clause (1) of this article shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State or part of the State, as the case may be, in respect of which seats are so reserved bears to the total population of the State.

(4) The number of seats reserved for an autonomous district in the Legislative Assembly of the State of Assam shall bear to the total number of seats in that Assembly a proportion not less than the population of the district bears to the total population of the State.

(5) The constituencies for the seats reserved for any autonomous district of the State of Assam shall not comprise any area outside that district except in the case of the constituency comprising the cantonment and the municipality of Shillong.

(6) No person who is not a member of a scheduled tribe of any autonomous district of the State of Assam shall be eligible for election to the Legislative Assembly of the State from any constituency of that district except from the constituency comprising the cantonment and municipality of Shillong.

राज्यों की विधान-सभाओं में अल्प अल्पसंख्यकों के लिए स्थान का रक्षण

[(1) इस समय प्रथम अनुसूची के भाग 1 या भाग 3 में उल्लिखित प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिये तथा आसाम के आदिम जाति-क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिमजातियों को छोड़कर अन्य आदिमजातियों के लिये स्थान रक्षित रहेंगे।

(2) आसाम राज्य की विधान सभा में स्वायत्तशासी जिलों के लिये भी स्थान रक्षित रहेंगे।

(3) खंड (1) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस सभा में के स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में की अनुसूचित

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

जातियों की अथवा उस राज्य में की या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित आदिमजातियों की, जिनके सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।

(4) आसाम राज्य की विधान सभा में किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का उस सभा में स्थानों की समस्त संख्या से अनुपात उस अनुपात से कम न होगा जो कि उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।

(5) शिलौंग के कटक और नगर क्षेत्र से मिलकर बने हुए निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये रक्षित स्थानों के निर्वाचन क्षेत्रों में उस जिले से बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट न होगा।

(6) कोई व्यक्ति जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले में की अनुसूचित आदिम-जाति का सदस्य नहीं है, उस राज्य की विधान सभा के लिये शिलौंग के कटक और नगर क्षेत्र से मिलकर बने हुए निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र न होगा।]'"

यह अनुच्छेद बिल्कुल मूल अनुच्छेद के समान है और उसी रूप में है जिस रूप में वह संविधान के मसौदे में रखा गया था। केवल इतना संशोधन किया गया है कि अनुच्छेद 294 के खण्ड (1) से मुसलमानों और ईसाइयों के लिये स्थानों के रक्षण की व्यवस्था को निकाल दिया गया है। इस सभा ने इस विषय के सम्बन्ध में जो निर्णय किया था उसके अधीन ही ऐसा किया गया है।

(संशोधन संख्या 34, 35, 36 और 79 उपस्थित नहीं किये गये।)

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** अध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद का अंशत: समर्थन करने के लिये मैं उठा हूं। श्रीमान मुझे इसका विश्वास है कि इस देश में अनुसूचित जातियों का वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है। इस वर्ग के लोग देश के अन्य लोगों से भिन्न अथवा पृथक नहीं हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भी इन लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। इसके अतिरिक्त मुझे इसका विश्वास है कि अनुसूचित जातियों की समस्याएं राजनैतिक समस्याएं नहीं हैं। उनकी समस्याएं मुख्यत: शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक हैं। ये समस्याएं सांस्कृतिक समस्याएं हैं। हम इन पद दलित लोगों के सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि विधान-मण्डलों में उनके प्रतिनिधित्व से उनका भौतिक तथा नैतिक स्तर ऊंचा कैसे उठाया जा सकेगा। अच्छा तो यह होगा कि संविधान में यह उपबन्धित कर दिया जाये कि केन्द्रीय और प्रांतीय आयव्ययकों में एक निश्चित धनराशि उनके उद्धार के लिए अलग रखी जाये। मुझे इन पीड़ित लोगों से प्रेम है और मैं यह चाहता हूं कि उन्हें अंधकार से बाहर निकालने के लिये प्रयत्न किया जाये। मैं नहीं चाहता

कि परोक्ष रूप से उन्हें अपने न्यायोचित अधिकारों से वंचित किया जाये अथवा इन अधिकारों को कुचला जाये। यदि आप उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहते हैं तो अवश्य प्रदान कीजिये। मैं उनके प्रतिनिधित्व का विरोध नहीं करता हूं किन्तु मेरे विचार से केवल इतना ही प्रदान करना पर्याप्त न होगा। इससे उनकी समस्याएं हल न होंगी। मैं यह चाहता हूं कि आदिमजातियों के लिए तथा अनुसूचित जातियों के लिये संविधान में ही उपबन्ध रखे जायें और ये उपबन्ध निदेशक सिद्धान्तों के अध्याय में न रखे जायें। यह स्पष्ट शब्दों में निर्धारित कर देना चाहिये कि राज्य उन्हें शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करेगा औन उनके लिये अनिवार्य शिक्षा तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। संसार में केवल एक ही देश ऐसा है जहां विश्वविद्यालय तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। वह देश सिंहलद्वीप है। मुझे आशा है कि भविष्य में जब हमारे आर्थिक साधन विकसित हो जायेंगे हम इन सुविधाओं को अपने सभी नागरिकों को प्रदान कर सकेंगे। मैं यह भी चाहता हूं कि आदिमजातियों के लोगों तथा हरिजनों के लिए संविधान में इस आशय के उपबन्ध रखे जायें कि उन्हें कृषि के लिए बिना मूल्य भूमि दी जायेगी। यदि हम इन सुविधाओं को प्रदान नहीं करते हैं और केवल यत्र तत्र एक दो स्थान ही उन्हें प्रदान करते हैं तो मेरे विचार से हम उनके शिक्षा सम्बन्धी स्तर को तथा आर्थिक स्तर को ऊंचा न उठा सकेंगे।

मेरे एक मित्र ने जो इस सभा के एक माननीय सदस्य हैं यह कहा है कि कुछ लोग स्थानों के रक्षण के विरुद्ध इसलिए हैं कि उससे विघटनशील प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं इन माननीय सज्जन महोदय का बहुत आदर करता हूं। मुझे ज्ञात है कि वे आदिमजातियों के लोगों के प्रतिनिधि हैं। मेरे विचार से वे यह अवश्य ही अनुभव करेंगे कि इससे विघटनशील प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता ही है जिससे राज्य की नींव कमजोर हो जाती है। मैं इन लोगों का एक बड़ा मित्र हूं। मैं इनकी सहायता करना चाहता हूं। जिन लोगों से मेरा घनिष्ट सम्बन्ध है यदि वे इस प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे विचारों से रुष्ट हो जायें तो मुझे इसकी चिंता नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि एक ऐसे विधान-मंडल में जहां 200 से लेकर 300 सदस्य आदिमजातियों के लोग न हों, क्या केवल 50 लोग आदिमजातियों के लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं? वे चीखपुकार अवश्य कर सकते हैं किन्तु कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। आदिमजातियों के लोगों के आर्थिक तथा नैतिक उत्थान के लिए हम जो कुछ आवश्यक समझते हैं उसके सम्बन्ध में हम इस सभा में इसी समय निर्णय करें और अपने निर्णयों को संविधान में स्थान दें।

मैं इस स्थल पर उसी बात को दुहराना चाहता हूं जो मैंने कुछ दिन पूर्व कही थी। हमने आदिम-जातियों के लिये कोई संविधान निश्चित नहीं किया है। इस समय यह कहना कि आदिमजातियों के लोगों के लिये विधान-मंडलों में स्थान रक्षित किये

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

जायेंगे, पहले ही से निश्चय कर लेना है। जब हम आदिम-जातियों के क्षेत्र-सम्बन्धी अनुसूचियों पर विचार करेंगे तो सम्भव है कि हम प्रस्तावित संविधान से बिल्कुल ही भिन्न संविधान का निर्माण करें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं आदिम-जातियों के क्षेत्रों में निर्वाचन करने के सिद्धान्त को संविधान में स्थान देने के विरुद्ध हूं। इससे आदिम-जातियों के लोगों का जीवन विघटित हो जायेगा। यह एक विघटनशील प्रवृत्ति है। उनके समाज का गठन हमारे समाज के गठन से बिल्कुल भिन्न है। वह बहुत कुछ एक सहकारी समाज है और उस समाज में सामूहिकता पर जोर दिया जाता है। निर्वाचन के सिद्धान्त में व्यक्तिवाद और प्रतियोगिता पर जोर है। आदिम-जातियों के लोग पिछड़े हुए, पददलित तथा अशिक्षित हैं और इसलिये निर्वाचन के समय कुछ शक्तिशाली गुट उनका शोषण करेंगे मेरी यह धारणा है कि निर्वाचन का सिद्धान्त इन लोगों के लिये हितकर सिद्ध न होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुच्छेद का समर्थन करता हूं।

*__श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः__ अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि मैं इस वाद-विवाद में भाग लूं किन्तु मैंने यह विचार किया कि मुझसे पूर्व बोलने वाले मेरे माननीय मित्र की कुछ बातों का उत्तर देना आवश्यक है।

*__अध्यक्षः__ आप उनकी बातों की चिन्ता न कीजिये।

*__श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः__ श्रीमान, आपका बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय मुझे शिरोधार्य है।

*__अध्यक्षः__ आप अपनी बातों को अनुच्छेद तक ही सीमित रखें।

*__श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः__ वास्तव में यदि माननीय सदस्य महोदय का भाषण तर्कसंगत होता तो उसका उत्तर भी तर्कसंगत होता किन्तु यदि आपका यह विचार है कि वह बिल्कुल तर्कशून्य है तो मुझे इसके आगे कुछ नहीं कहना है। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता था कि इस सभा में जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं उनमें से कुछ पर आपत्ति की जा सकती है। मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिये। मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य था। अब मैंने अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य होने की भावना का परित्याग कर दिया है और मैं स्वतंत्र रूप से बिना किसी उद्देश्य को सामने रखकर बोल रहा हूं। मेरी यह धारणा है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों को कभी-कभी रक्षण की आवश्यकता होती है। मेरे माननीय मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा कि विधान-सभाओं में उनके कुछ लोगों के निर्वाचित होने से उनकी स्थिति में सुधार न होगा। मैं इस कथन का विरोध करता हूं। अपने जीवन में उन लोगों को विपत्ति और शोषण का ही सामना करना पड़ता है। वे लोग अशिक्षित हैं और पिछड़े हुए हैं। इसी कारण उनका शोषण होता है। यदि वे कुछ सदस्यों को निर्वाचित कर सकेंगे तो वे लोगों के सामने अपनी शिकायतों को रख सकेंगे और उनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट कर सकेंगे। इससे उनकी शिकायतें और कठिनाइयां दूर हो सकेंगी। यदि अनुसूचित जातियों के लिये कुछ स्थान रक्षित करने से उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा तो मैं पूछता हूं कि

बहुत से ऐसे सदस्य जो अनुसूचित जातियों के न होंगे उनकी क्या सहायता करेंगे? उनके तर्क में कुछ सार नहीं दिखाई देता। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का प्रतिनिधित्व कमजोर लोगों का प्रतिनिधित्व है। यह उनके रक्षण के लिये है। मेरे माननीय मित्र ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र से जो लाभ होंगे वे अनुसूचित जातियों को प्रदान नहीं किये जा सकते। मेरे विचार से इस कथन का भी विरोध करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र एक ईश्वरीय देन हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के इन अभागे लोगों को अपनी दयनीय दशा से लोकतंत्र से ही छुटकारा मिल सकता है।

मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस अनुच्छेद का पूर्णतया समर्थन करता हूं। मुझसे पहले बोलने वाले मेरे माननीय मित्र ने अनुच्छेद का समर्थन करते हुए कुछ ऐसे तर्क उपस्थित किये जिनसे वास्तव में उसका खण्डन होता है।

***श्री कृष्णमोहन त्रिपाठी** (मध्य प्रान्त और बरार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं डॉ. अम्बेडकर से कुछ स्पष्टीकरण करवाने के लिये यहां उपस्थित हुआ हूं।

प्रस्तावित अनुच्छेद के खण्ड (1) में कहा गया है कि:

"प्रथम अनुसुची के भाग 1 या भाग 3 में उल्लिखित प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों के लिये तथा आसाम के आदिम-जाति क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिम-जातियों को छोड़कर अन्य आदिम-जातियों के लिये स्थान रक्षित रहेंगे।"

प्रथम अनुसूची के भाग 3 के विभाग (ख) में ये शब्द मिलते हैं, सभी अन्य देशी राज्य जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत डोमिनियन में थे। इनमें से अधिकांश राज्यों ने अब या तो संघ बना लिये हैं अथवा वे प्रान्तों में समाविष्ट हो गये हैं। जो राज्य प्रान्तों में समाविष्ट हो गये हैं उनमें से कुछ का प्रतिनिधित्व इस सभा में मैं करता हूं। ये राज्य छत्तीसगढ़ राज्य कहे जाते हैं और इनमें आदिम-जातियों के लोगों की जनसंख्या कुछ मिलाकर 50 प्रतिशत है। अर्थात् लगभग 30 लाख की जनसंख्या में उनकी जनसंख्या लगभग 14 लाख है। मैं डॉ. अम्बेडकर से यह जानना चाहता हूं कि मध्यप्रान्त में समाविष्ट होने वाले इन राज्यों पर स्थानों के रक्षण का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं बस्तर के राज्य का उदाहरण देता हूं। वहां की जनसंख्या 6,33,888 है और इसमें से आदिम-जातियों की जनसंख्या 478,970 है। उदयपुर के राज्य में जो रायगढ़ के नवनिर्मित जिले का एक भाग है, आदिम-जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 72 प्रतिशत है। जशपुर के राज्य में आदिम-जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 73 प्रतिशत है। इन राज्यों में आदिम-जातियों के लोग ऐसे क्षेत्रों में बसते हैं जहां अन्य लोग भी बसते हैं। इनमें से प्रत्येक राज्य स्थानों के रक्षण की मांग कर सकता है। इसलिये मैं डॉ. अम्बेडकर से जानना चाहता हूं कि स्थानों के रक्षण के सम्बन्ध में तथा इस संविधान के अधीन आदिम-जातियों को जो लाभ होंगे उनके सम्बन्ध में इन राज्यों की क्या स्थिति होगी।

***माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकल्स राय:** अध्यक्ष महोदय, डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत इस अनुच्छेद का समर्थन करने के लिये मैं अपने स्थान से उठा हूं। मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी किन्तु वह संशोधन डॉ. अम्बेडकर द्वारा उपस्थित किये हुए इस संशोधन में समाविष्ट कर दिया गया है। मुझे इसकी प्रसन्नता है कि वह इस संशोधन में समाविष्ट कर लिया गया है।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने आदिम-जातियों के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। आदिम-जातियों के लोग विभिन्न प्रकार के हैं। आसाम में आदिम-जातियों के ऐसे लोग हैं। जो बहुत लोकतंत्र प्रिय हैं। इस संविधान में हमने जिन लोकतंत्रात्मक संस्थाओं की व्यवस्था की है उन्हें वे बहुत पसन्द करेंगे। इस प्रकार की लोकतंत्रात्मक संस्थाओं का उन्हें अनुभव है। किन्तु आदिम-जातियों के कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें लोकतंत्रात्मक संस्थाओं का अनुभव न हो। मैं कह नहीं सकता कि वे किन क्षेत्रों में बसते हैं। जिन क्षेत्रों से मैं परिचित हूं वहां आदिम-जातियों के लोग बहुत ही लोकतंत्र प्रिय हैं। भारत के कुछ भागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पददलित हों और जिनकी ओर ध्यान ही न दिया गया हो। हो सकता है कि वे लोग लोकतंत्रात्मक संस्थाओं को पसन्द न करें। जहां तक आदिम-जातियों के लोगों का सम्बन्ध है वे, जैसा कि श्री जयपाल सिंह कह चुके हैं, बहुत लोकतंत्रप्रिय हैं। आसाम में ये लोग इसी प्रकार के हैं। इस कारण मेरा यह विश्वास है कि हमारे भारत में लोकतंत्रात्मक संस्थाओं में भाग लेने का उन्हें जो यह अधिकार अथवा विशेषाधिकार दिया गया है वह सर्वथा उपयुक्त है।

श्री एच.जे. खांडेकर (सी.पी.: जनरल): माानीय सभापति महोदय, आर्टिकिल 294, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस सभा के सामने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस आर्टिकल से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को सुरक्षित जगहें दी जाती हैं।

मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स की हैसियत से यह कहना चाहता हूं कि जो यह रिजर्वेशन हम लोगों को दिया जा रहा है यह हमारे ऊपर कोई बड़ा भारी उपकार नहीं किया जा रहा है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों ने आज हजारों बरस से हमारे दूसरे भाइयों की तरफ से जुल्म और अत्याचार सहन किया है। मेरा तो यह ख्याल है कि अगर उस जुल्म और अत्याचार के बदले में यह जगहें मिलती हैं तो आप हमारे ऊपर कोई बड़ा उपकार कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। यह जगह देने का जो पहला, ओरिजिनल आर्टिकल है, उसमें मुसलमान भाइयों को भी उनकी संख्या के अनुसार जगहें रिजर्व की गई थीं परन्तु किसी कारणवश उनकी वह जगह निकाल दी गईं। मेरा जहां तक ख्याल है मुसलमानों को रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देना बहुत जरूरी था। हालांकि मैं उस जाति का नहीं हूं मगर राजनीतिक दृष्टि से........

अध्यक्ष: मैं समझता हूं कि आप इस सवाल को न लें क्योंकि इस पर बहस हो चुकी है।

श्री एच.जे. खांडेकर: एक सेंटेंस कह देना चाहता हूं।

अध्यक्ष: एक सेंटेंस कह देने से ही तो सवाल खुल जाता है।

श्री एच.जे. खांडेकर: मुसलमानों को सुरक्षित जगहें न देने में मेरा ख्याल यह है कि राजनीतिक दृष्टि से कुछ गलती हो गई है। पर मैं उस जाति का न होने के कारण उस सवाल को टच नहीं करता।

यह जो हरिजनों का रिजर्वेशन है यह सिर्फ दस साल के लिए है और जहां तक मेरा इस जाति का और इस देश की दूसरी जातियों का अनुभव है उनसे मेरा यह विश्वास है कि दस साल के अन्दर हरिजनों की या शिड्यूल्ड कास्ट्स की हालत अचछी नहीं हो सकती। महात्मा गांधी ने 1927 से लेकर अपने देहान्त होने तक हरिजनों की उन्नति करने के प्रयत्न तन, मन और धन से किये परन्तु इस 20 या 22 वर्ष के समय में भी हरिजनों का उद्धार जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ और मैं इस ख्याल का नहीं हूं कि आपने जो हरिजनों के लिए दस साल का रिजर्वेशन दिया है इसमें उनका सर्वांगीण सुधार हो जायेगा। इस लिए इस रिजर्वेशन के साथ ही साथ आप दूसरे भी रिजर्वेशन देते, जैसे कि लोकल बाडीज में, म्युनिसिपल बोर्ड्स में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में, तो अधिक लाभ हो सकता था। पर इसका यहां कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। अगर आप हिन्दुस्तान के हर प्रान्त की तरफ देखें तो आपको मालूम होगा कि हरिजनों की हालत आज भी राजनीतिक दृष्टि से बहुत बुरी है। इन लोकल बाडीज के अन्दर आप देखें कि कोई भी हरिजन अगर वह किसी लोकल बाड़ी की जगह के लिए खड़ा होता है और वहां अगर वह कास्ट हिन्दूज की वोट लेना चाहता है तो मैंने अपनी आंखें देखा है कि उसे वह वोट नहीं मिलते और वह चुनकर नहीं आ पाता। और आगे के लिए भी मेरा यह विश्वास हो गया है कि कोई भी शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी उस जगह पर कभी भी चुनकर नहीं आ सकता। आज हिन्दुस्तान की यह परिस्थिति है और इसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने हमारी रिजर्वेशन की मांग को स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि अगर आप लोकल बाडीज में भी यह रिजर्वेशन दें तो हरिजनों को लाभ हो सकता था। मगर दें क्यों? आपके दिल हमारे दिल साफ हों तब न।

दूसरी बात यह कि अगर कोई यह समझ ले कि इस रिजर्वेशन से हमारी जाति का सर्वांगीण सुधार हो सकता है तो यह उसकी गलती होगी। हरिजनों का सुधार करने के लिये बहुत सारे क्षेत्र हैं। दूसरी जातियों के लेविल में आने के लिये उनको बहुत कुछ तरक्की की और मदद की जरूरत है। सिर्फ रिजर्वेशन ऑफ मीट्स से क्या होगा? आज भी, इससे पहले भी, और आगे भी, इस कांस्टीट्यूशन के पास हो जाने के बाद भी, हम लोगों को दूसरी जाति के लोग एक्सप्लाइट करेंगे। हमारे में पार्टीबन्दी बनाई जायेगी। अगर किसी कांस्टीट्यूएंसी में कास्ट हिन्दूज के वोट ज्यादा हैं और हरिजनों के कम हैं और उस कांस्टीट्यूएंसी में हमारी किसी

[श्री एच.जे. खांडेकर]

एक जाति की, उदाहरण के लिये मान लीजिये चमार मेजारिटी है तो हमारे कास्ट हिन्दू भाई उन चमारों को नहीं अपनायेंगे, बल्कि जो हरिजनों में माइनारिटी कम्युनिटी होगी उसको अपना वोट देकर मेजारिटी कम्यूनिटी को दबायेंगे। यही इस रिजर्वेशन का नतीजा होगा। इसका यही मतलब होने वाला है, इसलिए कि ज्यादा वोट हरिजनों के किसी कांस्टीट्यूएंसी में नहीं हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह रिजर्वेशन जब हो जायेगा उस वक्त जहां हरिजनों की संख्या ज्यादा है, ऐसी ही जगह अगर उनकी कांस्टीट्यूएंसी रिजर्व की जाती है तो हरिजनों के लिए कुछ लाभ हो सकता है और उनके सच्चे प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं नहीं तो हरिजनों के नाम पर हरिजनों में जो डम्मीज हैं उनको ऐसी असेम्बली में आप, यानी सवर्ण हिन्दू, भेजेंगे जैसी कि आज की असेम्बली है या प्रान्तों में जो असेम्बली है उनमें भी भेजे गये हैं। इस तरह हरिजनों की भलाई करने के एवज में आप हरिजनों का नुकसान करने वाले हैं और इस रिजर्वेशन से हरिजनों के बदले में अपना खुद का लाभ करने वाले हैं।

इसी प्रकार मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूं और वह यह कि जिस प्रकार का आप रिजर्वेशन प्रान्तों के लेजस्लेचर में देते हैं उसी प्रकार का केबीनेट में भी दें, जिससे हरिजन अपनी तरक्की कर सकें। मगर दुःख की बात है कि मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा, कि जहां किसी कास्ट हिन्दू के इंटरेस्ट से किसी शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी का इंटरनेस्ट टकराता है जो शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी की वहां हार हो जाती है। यह परिस्थिति है इस देश की और इससे आप, या कोई भी अच्छा आदमी, न ही नहीं कर सकता। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि जिस प्रान्त में हरिजनों की संख्या 24 और 25 परसेंट है अगर आप उस प्रान्त की कैबीनेट की तरफ देखें तो आपको पता लगेगा कि एक हरिजन के सिवा उसमें दूसरा हरिजन मिनिस्टर नहीं है। मगर दुःख की बात है कि जिस प्रान्त में कास्ट हिन्दूज की संख्या कम है, उदाहरण के लिए अगर ब्राह्मणों की संख्या कम है, अगर उस प्राप्त में ब्राह्मणों की संख्या 2 परसेंट भी नहीं है, परन्तु उस प्रान्त में अगर 12 मिनिस्टर हैं तो दस मिनिस्टर ब्राह्मण हैं। क्या आप इसको अन्याय नहीं समझेंगे? हरिजन मिनिस्टर लेने में तो आप एक से अधिक संख्या नहीं बढ़ाते फिर ब्राह्मण इतने ज्यादा क्यों हैं? ब्राह्मण जैसे छोटी सी जाति के हाथ में इस देश की सारी बागडोर रखना इसी का नाम डिमाक्रेसी है क्या? और यह किसान मजदूरों का राज है, जिसकी पुकार कांग्रेस बार-बार कर रही थी। यह ब्राह्मण राज आप कब तक चलाना चाहते हैं? अब लोग इससे तंग हैं।

***श्री बालकृष्ण शर्मा:** ब्राह्मणों का नाश हो।

***श्री एच.जे. खांडेकर:** [यह आप कह सकते हैं। यह अब्राह्मण कह सकते हैं। यदि सब अब्राह्मण एक हो जायें तो उनका नाश होगा ही और वह दिन अब दूर नहीं है।]

मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप हरिजनों को रिजर्वेशन कैबीनेट में देते तो यह जो हरिजनों के ऊपर और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर अन्याय हो रहा है इसको आप बचा सकते थे। बड़े दु:ख की बात यह है कि अब तो वह आर्टिकिल चला गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हरिजनों को दिया गया है उसके अलावा उन्हें जनरल सीट्स के लिए नहीं लड़ने देना चाहिए। मगर मैं यह कह देना चाहता हूं कि अगर आप हरिजनों को जनरल सीट्स के लिए नहीं लड़ने देंगे तो जो खाई हरिजनों और कास्ट हिन्दूज के बीच पड़ी हुई है वह कभी नहीं मिट सकती।

अध्यक्ष: आप चूंकि गैर हाजिर थे इसलिए इसके पहले जो बहस हुई उसे आपने सुना नहीं। अगर आपने सुना होता तो शायद आप ऐसी बातें नहीं कहते।

श्री एच.जे. खांडेकर: मैं इस हाउस में बराबर हाजिर था और अगर कोई हम लोगों की हाजरी लेता हो तो आप उसका रजिस्टर देखिये आपको दीखेगा कि तारीख 4 को छोड़कर मैं हर रोज बराबर हाजिर था। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो खाई हम में और कास्ट हिन्दूज में है, अगर इसको हमें लेविल करना है और दोनों जातियों को मिलाना है तो जिस तरह का बरताव हम आप लोगों से चाहते हैं उसी तरह का बरताव हमारे साथ होना चाहिए। मगर आप हम देखते हैं कि उनका बरताव स्वार्थान्ध बरताव है और स्वार्थ के उदाहरण यदि मैं आपके सामने रखूं तो आज का दिन चला जायेगा और कल का भी दिन चला जायेगा। मैं किसी को धमकाना नहीं चाहता हूं मगर मैं इस असेम्बली के और इसके बाहर के कास्ट हिन्दूज को बतलाना चाहता हूं कि उनको एक बात याद रखनी चाहिए। वह यह बात है कि हरिजनों के ऊपर आज तक आपने जितने अत्याचार और जुल्म किये हैं, अगर आपको उन पापों का प्रायश्चित करना है तो हरिजन जो चाहते हैं उनको वह देकर उन्हें आपको अपने लेविल में लाना चाहिये। अगर आपने यह नहीं किया तो जिस प्रकार आज हरिजनों में आन्दोलन हो रहे हैं, जिनसे वह अपनी तरक्की करना चाहते हैं, जिसको कि आप नहीं चाहते, वह उसको बढायेंगे और किसी भी देश को इतने बड़े तबके का गुलाम जैसे रखने में उस देश का आगे जाकर मैं नहीं कह सकता कि इस देश का क्या होगा। यह मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा हूं। मगर आज दूसरी एक्सप्लाइट करने वाली पार्टियों के लोग हिन्दुस्तान के हरिजनों में जो जाकर प्रचार करते हैं और ऐसा प्रचार करते हैं जो शायद इस देश के खिलाफ हो। और इस वार्निंग को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कास्ट हिन्दूज को हरिजनों को अपने बराबर लाने के लिए जितनी सहूलियतें वह चाहते हैं देनी चाहिएं। मैं आपके सामने एक और उदाहरण रखना चाहता हूं। यही आपकी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन

[श्री एच.जे. खांडेकर]

पुलिस सर्विस है इसमें सैकड़ों हरिजनों ने ऐप्लीकेशन्स दी और उनकी इन्टरव्यू हुई मगर दुख की बात है कि उनमें से एक भी इन पोस्टों पर नहीं रखा गया और कारण यह बताया जाता है कि इनमें कोई काबिल नहीं है। हमको तो आपेन ही काबिल नहीं होने दिया। हजारों साल से हमको दबाकर रखा गया है। हम काबिल किस प्रकार हो सकते हैं? आपने अपने स्वार्थ के लिए अपनी सेवा हम से ली और हमको इतना दबा दिया गया कि न तो हमारी बुद्धि चल सकती है, न हमारे शरीर चल सकते हैं, न हमारा मन चल सकता है और न हम खुद चल सकते हैं। यह परिस्थिति है। यह हालत आपने हमारी कर दी है और फिर कहते हैं कि काबिल नहीं है जो मार्क्स की लिमिट है उस तक आप नहीं पहुंचते। हम कैसे उस लिमिट तक आ सकते हैं। जबकि आपने हमें कुत्ते और बिल्लियों से भी निम्नतम बना रखा है।

आप हमारी इस परिस्थिति की तरफ देखें। आज हमारे जो ग्रामीण लड़के हैं उनकी हालात बहुत खराब है। उनको इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती जिस प्रकार आप जैसे बड़े आदमियों के लड़कों को सहूलियत मिलती है। तो फिर आप किस तरह से यह बात हमारे लड़कों से चाहते हैं कि वह उनका जिनको कि हर प्रकार की सुविधा मिलती है, मुकाबला करें? आपको मालूम नहीं किस तरह से हमारे विद्यार्थी अपनी शिक्षा स्कूलों में प्राप्त करते हैं। उनका सरकार किसी तरह भी ख्याल नहीं करती है। यहां दिल्ली में सी. पी. का रहने वाला एक हरिजन लड़का है, जिसको कि मैं जानता हूं। वह यहां पूसा इंस्ट्टियूट में पढ़ता है। वह एक गरीब लड़का है और उसके घर में मां-बाप गरीब हैं। वह लड़का ऐसी परिस्थिति में है कि आज एक महीने से उसके पास फीस देने को पैसा नहीं है। उसके महीने का खर्चा 105 रुपये है जबकि उसको 75 रुपये महावीर वजीफा मिलता है। एक हफ्ता हुआ उसको नोटिस मिला है कि वह अपनी सब फीस जमा कर दे जिससे कि वह आगे पढ़ सके। वह गरीब बिचारा जिसके पास खाने, पहनने और इम्तहान तक की फीस देने को पैसा नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक ही चारा है कि वह या तो भीख मांगे या किसी की चोरी करे। इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है। नहीं तो उसको स्कूल छोड़ना पड़ेगा और उसका जीवन नष्ट हो जायेगा। मगर अभी तक किसी गवर्नमेंट के आदमी के दिमाग में यह बात नहीं आई कि उस लड़के की फीस माफ कर दी जाये या उसको किसी प्रकार की इमदाद की जाये। उस लड़के ने कई एपलीकेशनें सरकार को दी। मगर उसका अभी तक किसी ने जवाब भी नहीं दिया तो इस प्रकार से कष्ट और दुखों को सहन करते हुए लड़का किस तरह से आपके उन लड़कों का मुकाबला कर सकता है जिसको हर प्रकार की सहूलियतें मिलती हैं। आपने हमको 10 साल की सहूलियत दे दी और आप बाद में कहेंगे कि हमने तो आप लोगों की हर प्रकार की मदद की। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने वह सब क्या किया। क्या 10 साल में उन

हरिजनों की भलाई के लिए कोई स्कीम आप तैयार करेंगे? क्या आपने आज तक हरिजनों के एजुकेशन के लिए कोई स्कीम तैयार की है? क्या प्रान्तों की सरकारों ने हरिजनों की भलाई के लिए कोई पैसा मुकर्रर किया है? हिन्द सरकार ने या प्रान्तीय सरकारों ने हरिजनों के लिए कोई एकानामिक स्कीम तैयार की है?

अध्यक्षः 10 साल का सवाल है और बातें एक-दूसरे आर्टिकल में आती हैं। उस समय आप यह बात कह सकते हैं। मैं इस समय इस बात की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री एच.जे. खांडेकरः मेरे कहने का मतलब यह था कि जो सहूलियत और लोगों को मिलती हैं वह हमारे विद्यार्थियों को नहीं मिलती, जिससे वह और लोगों के मुकाबले में नहीं आ सकता। हमारे भलाई करने की बात सरकार ने कभी नहीं सोची। हम लोगों ने कई बार कहा कि हमारे भलाई के लिए कम से कम हर प्रान्त में एक ऐसा हरिजन मिनिस्टर बनाइये। इसी तरह से सेंटर गवर्नमेंट में भी हरिजन मिनिस्टर होना चाहिये जो कि हरिजनों के अपलिफ्ट का काम करे। अगर इस प्रकार के मिनिस्टर हर प्रान्तों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में बना दिये जाते जो कि हरिजनों की कठिनाइयों के बारे में ख्याल करते तो बहुत सुधार इस समय तक हो गया होता। मगर बहुत दुःख की बात है कि इस तरह के प्रस्ताव हर प्रान्तों से आये और सब जगहों से हरिजनों ने सरकार के पास भेजे कि इस तरह की कार्रवाई की जाये मगर बहुत दुःख की बात है कि अभी तक उन लोगों के पास यह तक लिखकर नहीं आया कि तुम्हारे प्रस्ताव या रिजोल्यूशन हमारे पास आये हैं। यह हरिजनों की भलाई की कीमत है, यह हरिजनों की भलाई का आपका दिल है। इस बात से पता चलता है कि आप मीठी मीठी बात कहकर उन लोगों को खुश करना चाहते हो। हिन्दुस्तान में मीठी-मीठी बात कहने वाले बहुत हैं और इससे हरिजन बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। वह अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। सिवाय महात्मा गांधी या 10, 20 ऐसे लोग हैं जिनके दिल में अस्ल मानों में हरिजनों के लिए भलाई का ख्याल है। दूसरे कास्ट हिन्दू भाई स्वार्थी हैं और अपनी भलाई के लिये हम से मीठी बातें करते हैं।

अध्यक्षः आप प्रान्तों की बात कह रहे हैं।

श्री एच.जे. खांडेकरः मैं कई प्रान्तों की बात कह रहा हूं। मैं जो भी बात कह रहा हूं वह अपने अनुभवों से कह रहा हूं। मुझे 20,25 साल का अनुभव है। आज तक मैं देखता आया हूं कि हरिजनों के साथ कुछ भी भलाई नहीं की गई है। आपने प्रान्तों में, केन्द्र में, हमारे हरिजनों को मंत्री बनाया है। अगर उनमें से बहुत से आपके बगल बच्चे हैं और बुद्धू हैं। इन्हीं के हाथ आप हरिजनों का उद्धार करना चाहते हो? यह सब बुद्धू हैं और स्वार्थी हैं। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिये हरिजनों को आपको बेच दिया

[श्री एच.जे. खांडेकर]

है। इन बुद्धुओं का कहना सारे हरिजनों का कहना नहीं है। इनके साथ देश के चार हरिजन भी नहीं हैं। आपने रिजर्वेशन का जो आर्टिकल रखा है इससे हमारे हरिजनों की भलाई नहीं होने वाली है। इस तरह से हरिजनों के सारे प्रश्न हल नहीं हो जायेंगे। कुछ कन्स्ट्रक्टिव काम करो और हरिजनों को इन्सान बनाओ।

अध्यक्षः मालूम पड़ता है कि आप बराबर गैर-हाजिर रहे हैं।

***श्री एच.जे. खांडेकरः** मैं एक दिन के लिये भी इस सभा से गैर-हाजिर नहीं था। भले ही किसी ने मेरी गैर-हाजरी लिखी हो किन्तु मैं हमेशा हाजिर था। मैं हमेशा यहां अपनी जगह पर बैठा था।

अध्यक्षः मगर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यहां पर जो सवाल दरपेश हैं उस पर आप कह सकते हैं न कि सारे हरिजनों के मामले पर आप बहस करें। इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए तो अगर आप किसी प्रान्तीय असेम्बली के मेम्बर हैं तो वहां पर बोल सकते हैं। दूसरे मार्ग, जिन्हें यहां पर बोलने का मौका मिले, वह भी इसी आर्टिकल के मुतल्लिक कहें। दूसरी बातों को यहां पर लाने से कोई फायदा नहीं है।

श्री एच.जे. खांडेकरः सभापति जी, स्वराज के बाद भी आप लोगों का अन्याय देखकर मेरे जैसे आदमी का दिल जलता है आप लोगों को इस अपने स्वार्थी व्यवहार और राजनीति को बदलना चाहिये और हमारे साथ मनुष्यत्व का बरताव करना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो रिजर्वेशन बनाया गया है इतने से हमारे हरिजन भाइयों की भलाई हो जायेगी, मैं यह बात नहीं मानता हूं। मैं यह बात कह रहा हूं कि इस रिजर्वेशन से हरिजनों की भलाई नहीं हो सकती है। दुःख की बात यह है कि जो लोग हरिजनों की भलाई चाहते हैं और यह भी जानते हैं कि उनको कई प्रकार के कष्ट हैं, फिर मैं यह समझता हूं कि यह जो रिजर्वेशन का आर्टिकल है उससे हरिजनों की भलाई के लिए कोई स्कोप नहीं है, तो उन्हें इससे भी कोई अच्छा आर्टिकल इस सभागृह के सामने लाना था। मगर आप तो हमारी जाति जाति में झगड़े लगाने लगे हुए हैं। हरिजनों के सब-कास्ट में हर प्रकार के झगड़े लाने की इसमें गुंजाइश है। इसमें जिस प्रान्त में हरिजनों की मेजौरटी है उसको बाहर करने की गुंजाइश है क्योंकि चुनाव तो आपके हाथ में रहेगा। जिस प्रकार पिछले चुनावों में सवर्ण हिन्दुओं ने खेल खेला है वैसा ही खेल खेलने की इस आर्टिकल में उन्हें गुंजाइश है। हरिजनों में से जो बहुसंख्यक जाति है उसे दबाने के लिये कास्ट हिन्दू भाई हरिजनों के मायनारिटी जाति को चुनाव में मदद करेंगे और उनमें से किसी अनपढ़ को चुनकर लायेंगे जो कास्ट हिन्दुओं की हां में हां मिलाता रहेगा। पिछले चुनाव में कास्ट हिन्दुओं ने बम्बई प्रान्त के चुनाव में यही किया है। उस प्रान्त में हरिजनों में जो जाति बहुसंख्यक है उसके तो 19 सीटों में दो प्रतिनिधि चुन दिये हैं और

जो जाति हरिजनों में दो परसेंट भी नहीं उसके 14 प्रतिनिधि बम्बई असेम्बली में भेजे हैं। ठीक यही बात हरिजन मिनिस्टर लेने में हुई है। मैं तो यह कहता हूं कि जब इस चीज को अमल में लाया जायेगा तो हरिजन इससे और भी पीछे रह जायेंगे। मैं आपसे कह देता हूं कि इससे न तो देश का भला होगा न कांग्रेस गवर्नमेंट का भला होगा और न हरिजनों का ही भला होगा।

यह मेरे कहने का मतलब था और यह कहने के बाद मैं इस आर्टिकल को सपोर्ट करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री महावीर त्यागी (यू.पी. जनरल): श्रीमान जी, मैं इस आर्टिकल की ताईद करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह जो शिड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन का सवाल अंग्रेजों के जमाने में उठा था उस वक्त उनकी नीति ऐसी ही थी जैसी कि मुसलमानों के रिजर्वेशन का सवाल उठाकर उन्होंने हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमानों को आपस में दो कौमें बनाकर खड़ा किया और उसका आखिरी नतीजा पाकिस्तान हुआ। उन दिनों में अंग्रेजों की नीति हिन्दुस्तान में फूट डालकर अपनी हुकूमत को चलाने की थी। उसी नीति के अनुसार राउंड टेबुल कानफरेंस के समय पहली मर्तबा अंग्रेजों ने शिड्यूल्ड कास्ट्स को दूसरी कास्ट्स से अलग करके उनका चुनाव अलग कराने के प्रयत्न का आरम्भ किया था। महात्मा गांधी ने उस समय यह ऐलान किया था कि यदि इस तरह से हिन्दुस्तान में और एक दूसरी पार्टी शिडयूल्ड कास्ट्स की बनाई गई तो वह आमरण अनशन करेंगे। उसी का नतीजा यह हुआ कि वह मुसलमानों की तरह ऐसे अलग तो नहीं हो सके कि उनका चुनाव तमाम हिन्दुओं से अलग हो जाये परन्तु फिर भी ऐसा कर दिया कि उनके वास्ते आबादी के मुताबिक कुछ जगहें मुकर्रर कर दीं। महात्मा गांधी ने जब डॉ. अम्बेडकर के साथ फैसला किया तो राउंड टेबुल कानफरेंस में जितनी नशिस्त, जितनी जगहें, उन्हें दी गयी थीं उनसे भी ज्यादा महात्मा गांधी के फैसले में दी गयीं। समझा गया कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के साथ न्याय होना चाहिये और चूंकि इससे पहले, यह वाकया है कि उनके आदमी चुनाव में नहीं आते थे, ऐसा मेरे भाई खांडेकर जी का कहना ठीक है, तो महात्मा गांधी ने और डॉ. अम्बेडकर ने मिलकर फैसला किया उस फैसले के अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट्स का चुनाव रहा तो मुश्तरका, पर उनकी जगहें उनकी सीट्स, गिन दी गयीं और जितनी जगहें राउंड टेबुल कानफरेंस में दी जा रही थीं उनसे ज्यादा सीटें देकर उनके साथ फैसला हुआ। वह फैसला चलता रहा।

अब जब चौदह बरस के बाद फिर से उनकी जगहें मुकर्रर करते हैं और तय करते हैं कि उनकी सीटें रिजर्व रहेंगी तो ऐसे वक्त में हमको पुराना तजुर्बा नहीं भूलना चाहिये। मैं इस हाउस की तवज्जह पुराने तजुर्बे पर लाना चाहता हूं। यह अलग सीटें देने से एक तो फायदा यह हुआ कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के अन्दर जिन्दगी पैदा हुई। उनके अन्दर खुद तरकी करने की भावना पैदा हुई और दूसरे

[श्री महावीर त्यागी]

लोगों ने भी समझा कि आखिर यह बराबर के शहरी हैं, इसलिए इनको पूरे अधिकार मिलने चाहियें। लोगों को आदत भी पड़ी कि साथ-साथ बैठकर अपने मुल्क की तकदीर का फैसला करें और मुल्क की अहम और गम्भीर समस्याओं पर साथ-साथ बैठकर विचार करें। इस तरह काम में बहुत मदद मिली। परन्तु देखना यह है कि इस किस्म के रिजर्वेशन का फायदा वाकई कहां पहुंचता है। अभी हमारे भाई खांडेकर जी ने यह एतराज किया कि मैजारिटी काम्युनिटी के लोग माइनारिटी वालों को नहीं आने देते। यह बात सही है। मैं देखता हूं कि इस सिलसिले में मैं एक भी ऐन माइनारिटी का आदमी हूं। मेरी बिरादरी की तादाद मेरे जिले में, मैं मेरी तीन लड़कियां और एक पुलिसमैन हैं। मेरे जिले भर मेरी बिरादरी के कुल पांच आदमी हैं। फिर भी जब हमारे जिले में चुनाव होते हैं तो मैं चला आता हूं। पर ऐसा आम तरीका नहीं है। जो लोग देश की सेवा की शक्ति पर नहीं आ सकते तो वह बिरादरी की शक्ति पर आते हैं। जिसकी बिरादरी ज्यादा होती है वह कामयाब होता है। मेरठ के जिले में जहां जाट बिरादरी की बहुतायत है तो वहां से अधिकतर जाट उम्मीदवार ही कामयाब होता है। यहां ब्राह्मण नहीं हो पाता। तो यह बात शिड्यूल्ड कास्ट्स या दूसरी कास्ट्स की नहीं, बल्कि अलग-अलग सैक्ट्स जो है उनमें भी यही है। यह हिन्दुस्तान की बदकिस्मती है।

शिड्यूल्ड कास्ट्स का भी हाल देखिये। हमारे सूबे में बीस सीट असेम्बली में शिड्यूल्ड कास्ट्स को मिली थीं, पंजाब में शायद आठ थीं। अब तमाम सीटें जो इन सूबों में मिली हुई हैं उन पर गौर कीजिये। मैं अपने भाई खांडेकर जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह तमाम सूबों की असेम्बलियों का नक्शा निकाल कर देखें तो उन्हे मालूम होगा कि सिवाय दो या तीन महार साहब के, जिनमें खांडेकर जी भाई और अम्बेडकर भाई भी शामिल हैं, ज्यादातर सीटें चमार भाइयों को गई हैं, क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट्स में उनकी तादाद ज्यादा हैं अगर आप मिनिस्टरों पर भी गौर करें तो हिन्दुस्तान के अन्दर डॉक्टर साहब को छोड़कर आपको चमार भाइयों के सिवाय और कोई दूसरा शिड्यूल्ड कास्टस का मिनिस्टर नहीं मिलेगा।

कई माननीय सदस्यः बिहार में हैं।

श्री महावीर त्यागीः हां, आपके बिहार के अलावा बाकी सब जगहें ऐसी हैं जहां वही मिनिस्टर हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स की सीटों का फायदा यह 400 कौमें उठा रही हैं? इन 400 कौमों में सिर्फ दो या तीन कौमें ऐसी हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट्स को मिली हुई सीटों का फायदा उठा रही थीं। बम्बई में मुश्तरका चुनाव होने के नाते महार भाइयों की तादाद ज्यादा होने से भी कोई दूसरी बिरादरी के भाई चले गये तो खांडेकर जी को एतराज है। मैं इस जहनियत की मुखालिफत करता हूं। जबकि शिड्यूल्ड कास्ट्स में चार सौ पांच

सौ कौमें मिलकर शिड्यूल्ड कास्टस बनाई तो फिर उन शिड्यूल्ड कास्ट्स के बीच में यदि कसरत राय वाले सेक्ट और कम राय वाले सेक्ट चलाये जायें तो इसके मायने यह हुए कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के नाम से जो सीटें मिलीं वह उसी को मिली जिस ग्रूप या सेक्ट की उस शिड्यूल्ड कास्ट्स में कसरत राय हो। अगर हम यह कह दें कि चमार भाइयों को हिन्दुसतान में इतनी सीट मिलेंगी तब भी वही नतीजा होगा जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के नाम पर हमने कर दिया क्योंकि हमारे सूबे में चमार चाइयों की तादाद ज्यादा है और उन्हीं को वोट ज्यादा मिलते हैं। पार्टी भी जो उम्मीदवार खड़ा करती है वह भी यह विचार करती है कि जिसकी बिरादरी ज्यादा हो उसी को खड़ा किया जाये तो ज्यादा आसानी होगी। तो यह रिजर्वेशन की जो बात है उसका लाभ तो सारे शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों को नहीं पहुंचता है। शिड्यूल्ड कास्ट्स की तादाद पांच सौ छः सौ है, उनके नाम भी हमें नहीं मालूम और उनका असेम्बली में आना तो हमेशा के लिये असम्भव है।

तो इसके मानी यह हुए कि जो बिरादरी ताताद में ज्यादा है उसको फायदा पहुंचाने के लिए हम शिड्यूल्ड कास्ट्स की सीट का इन्तजाम करते हैं। इसलिए मुश्तरका चुनाव होने में, जिस पर कि खांडेकर भी भाई को एतराज है, यह लाभ होगा कि दूसरे लोग जो उस शिड्यूल्ड कास्ट की बिरादरी में कम राय वाले हैं उनके साथ सवर्ण हिन्दू न्याय कर सकेंगे। वह यह देख सकेंगे कि हमारे जिले में इतने चमार भाई हैं और उनकी कसरत राय है परन्तु कम राय वालों को कोई गुजांइश नहीं हालांकि उनमें कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि लेजिस्लेटिव असेम्बली में जाने के योग्य हैं, तो दूसरे लोग उनकी सहायता करके रायों की कमी को पूरा कर सकेंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स की सीट्स के चुनाव में दूसरे कास्ट वालों का शरीक होना इसलिए लाभकारी है कि उसमें कसरत राय वालों के अलावा वह लोग भी, जिनकी तादाद शिड्यूल्ड कास्ट्स में कम है, चुनाव में जा सकेंगे और उनसे लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। इसलिए मैं इस एतराज का तो यों जवाब देता हूं।

सारी शिड्यूल्ड कास्टस, जितनी भी शिड्यूल्ड कास्ट्स गिनाई गई हैं सबका लाभ ध्यान में रखना चाहिये, सिर्फ कसरत राय वालों का नहीं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। वह यह है कि यह रिजर्वेशन जो आज तक हमने दिया है उसका एक असर यह भी पड़ता जाता है और शिड्यूल्ड कास्टस वाले अपना एक अलग सा ग्रूप बनाते जा रहे हैं और अगर यह थोड़े दिनों और जारी रहा तो शिड्यूल्ड कास्ट के लीडर वही करेंगे कि जो मुस्लिम लीग ने किया था। उनकी मिनिस्ट्री मिलना, असेम्बली की सदस्यता मिलना तभी तक मुमकिन है जब तक उनका सेपरेट रिजर्वैशन सीट्स का जारी है। ऐसी दशा में देश से यह सेपरेटिस्ट टेडेंसी दूर नहीं हो सकती है। मैं तो समझता हूं कि किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिये।

[श्री महावीर त्यागी]

हमारे यू.पी. के अन्दर अभी पंचायतों के सिलसिले में चुनाव हुआ। हाउस को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि इन पंचायतों के सरपंचों का चुनाव मुश्तरका था। हमारे पूर्वी जिलों में आधी से ज्यादा ऐसी पंचायतें हैं जहां पर कि शिड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी सरपंच चुनाव गया। यह तो गांव की पंचायतों का गवर्नमेंट की मार्फत चुनाव हुआ और शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले सरपंच चुने गये। यह ख्याल गलत है कि पालिटिक्स के अन्दर माइनोरिटी वाले कोई फायदा नहीं उठाते। अगर मैं किसी माइनोरिटी का लीडर होता तो मैं आपको यह प्रत्यक्ष दिखा सकता था कि सौ आदमियों के हाउस में मेरी पार्टी के बीस को छोड़कर बाकी 80 आदमियों में भी तो दो या तीन पार्टी होंगी, मैं उनमें से एक पार्टी को 20 वोट देकर उसे जिता देता और स्वयं प्रधान मंत्री बन जाता। मिनिस्ट्री बनाने के लिए, पावर में आने के लिए, माइनोरिटी अपना बारगेन करती है और दुनिया में इसी तरह से माइनोरिटी चलती है। मैजोरिटी में अलग अलग ग्रूप होते हैं, और उनमें माइनोरिटी इधर उधार से जाकर हमेशा लाभ उठाती है। तो इसलिए यह कहना कि माइनोरिटी वाला ग्रूप लाभ नहीं उठाता, यह गलत है। इसी तरह से आम चुनावों में भी माइनोरिटी वाले इसमें पूरा हिस्सा नहीं ले सकते। मेरा तो अपना ख्याल यह था कि कोई रिजर्वेशन नहीं रखना चाहिए था। बल्कि इस रिजर्वेशन के रखने के बाद मुझे यह ख्याल आता है कि बेचारे सिखों के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई। वह लोग भी बहुत दिनों से अलग रहते आये हैं, तो उनके इस अधिकार को खत्म कर दिया और इसी तरह ईसाईयों का भी यह अधिकार खत्म कर दिया और इसी तरह ईसाईयों का भी यह अधिकार खत्म कर दिया। और जितनी भी दूसरी माइनोरिटीज हैं वे बड़ी उदारता के साथ इस बात के लिए तैयार हो गई कि कि वह अपना यह अधिकार खत्म हो जाने दें। फिर यह थोड़ा-सा रिजर्वेशन क्यों रहने दिया? मेरा तो अपना विश्वास है कि रिजर्वेशन रखने के बिना भी शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग अपने बराबर की तादाद में आ सकते हैं। और दस वर्ष बाद आप देख लीजियेगा कि इससे भी ज्यादा तादाद में वह लोग आयेंगे। मैं यह फिर से दुहरा देना चाहता हूं कि चुनावों में कास्ट में वह लोग आयेंगे। मैं यह फिर से दुहरा देना चाहता हूं कि चुनावों में कास्ट का विचार न करके उम्मीदवार के व्यक्तित्व का विचार करना चाहिये, किसने देश की ज्यादा सेवा की है और कौन ज्यादा नुमायन्दगी अच्छी कर सकता है। बदकिस्मती से आज भी देश में अंग्रेजी पढ़े हुए आदमी कामयाब होते हैं, रुपये वाले कामयाब होते हैं। बदकिस्मती तो यह है कि ब्राह्मणों में जो बेचारे शेंड्यूल्ड कास्ट्स से भी ज्यादा गरीब हैं, उनकी तरफ कोई सोचता नहीं हैं। इसी तरह क्षत्री, राजपूत और सभी कौमों में कुछ लोग और परिवार ऐसे हैं जिनको गांव में रहने की जगह से पढ़ने लिखने और रुपये कमाने का अवसर नहीं मिला। उनके लिए इस विधान में कोई गुंजायश नहीं है। वह गरीब और अनपढ़

है। न उसको नुमावन्दगी मिल सकती है और न मिनिस्ट्री मिल सकती है। बदकिस्मती से हाल कुछ ऐसा है। कि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं और अंग्रेजीपन अपनाये हुए हैं वही हिन्दुस्तान के नुमायन्दा हैं। वही हिन्दुतसन की नुमायन्दगी में आगे आ सकते हैं। मुझे इसका बड़ा दु:ख है कि इल्लिट्रेट के लिए देश में कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा कहना यह है कि जब तक देश के इन्तजाम की बागडोर अंग्रेजी न जानने वाले बेपढ़ों के हाथ में न आवेगी और सरकारी मुलाजिमों में ज्यादा तादाद बेपढ़े आदमियों की नहीं आयेगी हिन्दुस्तान असली स्वराज्य का आनन्द नहीं ले सकेगा। यह पढ़े लिखे आदमी डिमौरेलाइज्ड होते हैं और आज के दौर-दौरे में हिन्दुस्तान का इन्तजाम ऐसे लोगों के हाथ में है और जो अंग्रेजी तालीम और सभ्यता में रंगे हुए हैं और डिमौरेलाइज्ड हो गये हैं। जैसे दूसरी जातियों के लोग, इसी तरह शेड्यूल्ड कास्ट्स के जो असली मौरल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए अंग्रेजी राज के हट जाने पर भी गुंजाइश नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट्स में से डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग आयेंगे कि जो हर तरह से काबिल हो गये हैं और सारी अंग्रेजी बातों को जानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कहां के शेड्यूल्ड कास्ट हैं? जो पंडितों के पंडित हैं वह तो शेड्यूल्ड कास्टस का फायदा उठाते हैं और डॉ. अम्बेडकर तो देश के किसी कोने से अपनी निजी ताकत से आ सकते हैं। इसलिये जैसा मैंने कहा, मुझे रिजर्वेशन से कोई लाभ नहीं दीखता और उससे भी असली नुमायन्दे नहीं आ पाते। वह तो तभी हो जायेगा जब हम अपनी जहनियत को बदल दें और पुराने हिन्दुस्तानी तरीके पर लोगों का चुनाव करें, ईमानदारी, काबलियत, जहनियत, जनसेवा और अक्ल के आधार पर चुनाव करें। हम तो अंग्रेजी के चक्कर में इतना फंस गये हैं कि जिसने अंग्रेजी के चार अखर पढ़ लिए, वही देश की नुमायन्दगी का हकदार हो जाता है। इतना कहने के बाद में समझता हूं कि यह अच्छा है। दस वर्ष तक उनको और अवसर मिलेगा, उसके बाद यह चला जायेगा और दस वर्ष बाद चुनाव कतई मुश्तरका रहेगा।

***अध्यक्ष:** यह उन अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद है जिनमें पिछले सत्र में किये गये निर्णय सन्निहित हैं। मेरे विचार से इस पर अधिक वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है। किन्तु मैंने बोलने के इच्छुक सदस्यों को कभी रोका नहीं है।

प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 294 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:

'294 (1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, except the Scheduled Tribes in the tribal areas of Assam, in the Legislative Assebly of every State for time being specified in Part I or Part III of the first Schedule.

Reservation of seats for minorities in the Legislative Assemblies of the States.

[अध्यक्ष]

(2) Seats shall be reserved also for the autonomous districts in the Legislative Assembly of the State of Assam.

(3) The number of seats reserved for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any State under clause (1) of this article shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State or part of the State, as the case may be, in respect of which seats are so reserved bears to the total population of the State.

(4) The number of seats reserved for an autonomous district in the Legislative Assembly of the State of Assam shall bear to the total number of seats in that Assembly a proportion not less than the population of the district bears to the total population of the State.

(5) The constituencies for the seats reserved for any autonomous district of the State of Assam shall not comprise any area outside that district except in the case of the constituency comprising the cantonment and the municipality of Shillong.

(6) No person who is not a member of scheduled tribe of any autonomous district of the State of Assam shall be eligible for election to the Legislative Assembly of the State from any constituency of that district except from the constituency comprising the cantonment and municipality of Shillong.

राज्यों की विधान सभाओं में अल्पसंख्यकों के लिये स्थानों का रक्षण।

[(1) इस समय प्रथम अनुसूची के भाग 1 या भाग 3 में उल्लिखित, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों के लिये तथा आसाम के आदिमजाति क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिम-जातियों को छोड़कर अन्य आदिमजातियों के लिये स्थान रक्षित रहेंगे।

(2) आसाम राज्य की विधान सभा में स्वायत्तशासी जिलों के लिये भी स्थान रक्षित रहेंगे।

(3) खंड (1) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस सभा में के स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगी जो यथास्थिति उस राज्य में की अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य में की या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित आदिमजातियों की, जिनके समबन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।

(4) आसाम राज्य की विधान सभा में किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का उस सभा में स्थानों की समस्त संख्या से अनुपात उस अनुपात से कम न होगा जो कि उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।

(5) शिलौंग के कटक और नगर क्षेत्र से मिलकर बने हुए निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये रक्षित स्थानों के निर्वाचन क्षेत्रों में उस जिले से बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट न होगा।

(6) कोई व्यक्ति जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले में की अनुसूचित आदिमजाति का सदस्य नहीं है, उस राज्य की विधान सभा के लिये शिलौंग के कटक और नगर-क्षेत्र से मिलकर बने हुए निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर उस जिले के किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र न होगा।]'"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

अनुच्छेद 294, संशोधित रूप में संविधान का अंग बना लिया गया।

अनुच्छेद 295

***अध्यक्षः** इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है।

प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 295 संविधान का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

अनुच्छेद 295 संविधान का अंग बना लिया गया।

नवीन अनुच्छेद 295-(क)

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"अनुच्छेद 295 के पश्चात्, निम्नलिखित नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाय:—

'295-A. Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Part, the Provisions of this Constitution relating to the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes either in the House of the people or in the Legislative Assembly of a State shall cease to have effect on the expiration of a period of ten years from the commencement of this Constitution.

Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to cease to be in force after the expiration of ten years from the commencement of this Constitution.

[295-(क) इस भाग के पूर्ववर्त्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये स्थानों के रक्षण सम्बन्धी इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी न रहेंगे।]' "

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये स्थानों का रक्षण इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के पश्चात् न रहेगा।

यह अनुच्छेद भी इस सभा के निर्णय के अनुसार ही उपस्थित किया जा रहा है। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है।

***अध्यक्ष:** इसके सम्बन्ध में मुछ संशोधन हैं। तीन सदस्यों ने संशोधन संख्या 39 की सूचना दी है।

***श्री युधिष्ठिर मिश्र** (उड़ीसा राज्य): श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"उपरोक्त संशोधन 38 में प्रस्तावित अनुच्छेद 295-(क) में से 'and the Scheduled Tribes (अनुसूचित आदिम-जातियों)' शब्द निकाल दिये जायें।"

मेरे संशोधन का प्रभाव यह होगा कि केन्द्र में और प्रान्तों में अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये स्थान रक्षण सम्बन्धी उपबन्ध इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष पश्चात् भी अप्रभावी न होंगे। इस नवीन अनुच्छेद 295-(क) का उद्देश्य यह है कि इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष पश्चात् अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये स्थान रक्षित न रखे जायें। अपने संशोधन द्वारा मैंने यह उपबन्धित करने का प्रयास किया है कि आदिम जातियों के लिये स्थानों के रक्षण की कालावधि केवल दस वर्ष न रखी जाये।

संविधान सभा के पिछले सत्र में माननीय सरदार पटेल के एक प्रस्ताव द्वारा यह निर्णय किया गया था कि अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यकों के लिये विधान मंडलों में रक्षित स्थान केवल दस वर्ष के लिये रखे जायें। इस प्रस्ताव में मुसलमानों, सिक्खों, अनुसूचित जातियों और भारतीय ईसाइसों के समुदायों का उल्लेख है। उस समय यह निश्चय किया गया था कि स्वतंत्र भारत में तथा वर्तमान स्थिति को भी देखते हुए धार्मिक समुदायों के लिये स्थान रक्षित न किये जाने चाहिये। इस कारण अनुसूचित आदिम जातियों के लिये जो स्थान रक्षित किये गये थे उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। श्रीमान, सरदार पटेल ने 11 मई 1949 को इस सभा के सामने राजनैतिक रक्षा कवचों के सम्बन्ध में मंत्रणा-समिति का जो प्रतिवेदन उपस्थित किया था उसमें स्पष्टत: यह उल्लिखित है कि अल्पसंख्यक-मंत्रणा-समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में की किसी बात का प्रभाव उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती (आसाम) आदिम-जाति तथा अपवर्जित क्षेत्र उपसमिति और अपवर्जित तथा अंशत: अपवर्जित क्षेत्र (आसाम के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र) उपसमिति की विधान-मंडलों में आदिम-जातियों के सम्बन्ध में की हुई सिफारिशों पर नहीं पड़ेगा। उसमें यह भी निर्धारित किया गया था कि विधान-मंडलों में आंग्ल-भारतीयों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध रखा गया है उस पर इस प्रस्ताव का कोई प्रभाव न पड़ेगा।

श्रीमान, आदिम-जाति और अपवर्जित क्षेत्रों की मंत्रणा समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि आदिम-जातियों के लिये किसी प्रकार की रक्षा की व्यवस्था की जाये किन्तु जहां तक मुझे स्मरण है कि इस व्यवस्था की अवधि के सम्बन्ध में कोई सीमा निश्चित नहीं की गई थी। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मसौदा समिति ने अपने हाल के संशोधन में अथवा अपने नवीन अनुच्छेद 295-(क) में एक काल सीमा निश्चित की है। हम एक नवीन अनुच्छेद 215-(ख) को पारित कर चुके हैं जिसमें संविधान में मसौदे की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के उपबन्धों के अधीन किसी राज्य के आदिम-जाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 215 (ख) का यह उपबन्ध संविधान का स्थाई अंग है और वह दस वर्ष के पश्चात् भी अप्रभावी न होगा।

इसके अतिरिक्त संविधान के मसौदे की पांचवीं और छठी अनुसूचियों में एक आदिम-जाति मंत्रणा समिति के सम्बन्ध में उपबन्ध रखे गये हैं जो राज्यों की सरकारों को सभी राज्यों की आदिम-जातियों के लोगों को समुन्नत बनाने तथा उनके प्रशासन के सम्बन्ध में परामर्श देगी। इस आदिम-जाति मंत्रणा समिति के तीन-चौथाई सदस्य राज्यों के विधान मंडलों में आदिम-जातियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से होंगें। यदि आदिम जातियों के लिए स्थान रक्षित न किये गये तो आप इस संविधान के उपबन्धों को, कम से कम उन उपबन्धों को जो संविधान के मसौदे की अनुसूची 5 में दिये हुए हैं किस प्रकार प्रयोग में लायेंगे? यदि स्थान रक्षित न किये गये तो मुझे विश्वास है कि आदिम-जातियों का सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा राजनैतिक स्तर गिरा हुआ होने के कारण उनमें से बहुत कम लोग विधान सभा के लिये निर्वाचित हो सकेंगे।

[श्री युधिष्ठिर मिश्र]

मेरी यह धारणा है कि दस वर्ष के पश्चात् भी हम आदिम जातियों को ऊंचा न उठा सकेंगे। मेरे विचार से अधिकांश आदिम–जातियों का शिक्षा का तथा सुखसमृद्धि का स्तर अधिकांश अनुसूचित जातियों से भी गिरा हुआ है। यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इस सभा में आदिम–जातियों को कितना प्रतिनिधित्व है और अनुसूचित जातियों का कितना प्रतिनिधित्व है। कुछ लोगों ने तो यह भी आपत्ति की है कि जहां तक आदिम–जातियों का सम्बन्ध है यह सभा उनकी प्रतिनिधि सभा नहीं है। हाल में मेरे पास उड़ीसा राज्यों की आदिम जातियों के लोगों के इस आशय के पत्र आये कि इस सभा में उनके प्रतिनिधियों को उनके लिये किसी प्रकार का संविधान बनाने का अधिकार नहीं है और यदि उन्होंने कोई संविधान बनाया तो वह उनको मान्य न होगा। उन्हें यह भय है कि उनके प्रति न्याय नहीं होगा और इसी कारण वे यह कहते हैं। जब तक हम उनके बीच में जाकर स्थानों के रक्षण के सम्बन्ध में उनकी भावनाओं को न समझें तब तक हम इस भय को दूर नहीं कर सकते। इसलिये दस वर्ष के पश्चात् आदिम–जातियों के लोगों को स्थानों के रक्षण को समाप्त करने के पूर्व हमें पर्याप्त विचार कर लेना चाहिये। मेरी यह धारणा है कि दस वर्ष में आदिमजातियों के लोग उस सामाजिक स्तर को प्राप्त न कर सकेंगे जो अन्य लोगों को प्राप्त है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह काल–सीमा न रखी जाये। मुझे आशा है कि मसौदा–समिति इस संशोधन पर यथोचित विचार करेगी।

***अध्यक्ष:** अन्य संशोधनों पर हम कल विचार करेंगे।

आज सभा स्थगित होने के पूर्व मैं उसके सम्मुख एक विषय की चर्चा करना चाहता हूं, यद्यपि साधारणतया इस सभा में इस प्रथा का अनुसरण नहीं किया जाता। अभी अभी मुझे डॉ. एस. राधाकृष्णन् से त्यागपत्र प्राप्त हुआ है। वे हमारे राजदूत होकर मास्को जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस सभा में उन्होंने जो कुछ कार्य किया है उसकी सभा सराहना करेगी। भविष्य में उनकी अनुपस्थिति हमें खलेगी। यद्यपि हमें हानि होने जा रही है किन्तु उनकी अन्यत्र नियुक्ति से देश को लाभ होगा। वे एक ख्यातनामा दार्शनिक हैं और उन्होंने एक लेखक के नाते भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। मुझे आशा है और विश्वास भी है कि एक ऐसे देश में उनकी नियुक्ति होने से जिससे हम बहुत अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी और उनसे देश को बहुत सहायता मिलेगी।

अपनी ओर से सभा की ओर से मैं डॉ. राधाकृष्णन के प्रति सद्भावना प्रकट करता हूं और यह चाहता हूं कि वे अपने कार्य में सफल हों।

***प्रो. एस. राधाकृष्णन्** (संयुक्त प्रान्त : जनरल): अध्यक्ष महोदय तथा सहकारी सदस्यगण, आपने अभी जो सद्भावना प्रकट की है उसके लिये मैं आप को बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे इसका खेद है कि मैं इस सभा की कई बैठकों में उपस्थित नहीं हो सका और उसके विचार–विमर्श में यथोचित भाग नहीं ले सका।

इसका कारण यह है कि मैं ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ था जिस पर मेरा कुछ भी नियंत्रण न था। मुझे आशा है कि यह सभा की समझ में आ गया होगा।

हमने इसका निश्चय कर लिया है कि हमारा लक्ष्य क्या है। यदि हम एकनिष्ठ होकर उसे शीघ्रता से प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करेंगे तो यह निश्चित है कि राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। सब कुछ इस पर निर्भर है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार करते हैं। किसी स्थिति विशेष के परिणामस्वरूप ही राजनीति उत्पन्न होती है और राजनीति के कारण कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती। संसार में असंतोषजनक आर्थिक स्थिति के कारण ही राजनैतिक उथलपुथल होते हैं। जहां कहीं लोगों को यथोचित जीवन-स्तर प्राप्त होता है वहां राजनैतिक स्थिरता भी दिखाई देता है। यदि आर्थिक अस्थिरता रहती है तो उथलपुथल होते हैं। मुझे आशा है कि हमारे विश्वासपात्र नेता जिनके हाथों में इस समय शासन की बागडोर है हमारे संविधान के मसौदे में निर्धारित दायित्वों को पूरा करेंगे और यह कहने का अवसर न देंगे कि सामाजिक न्याय करने में विलम्ब करके उन्होंने लोगों को उससे वंचित कर दिया। अभी हमने हरिजनों, उनके अधिकारों आदि के सम्बन्ध में एक भावनापूर्ण वक्तव्य सुना। हमारा लक्ष्य सामाजिक लोकतंत्र है। जिसमें जाति पाति के तथा गरीब अमीर के भेद के लिये स्थान ही नहीं है। अपने संविधान में हमने जो घोषणाएं की हैं उन्हें हम जिस प्रकार कार्यान्वित करेंगे उसी से संसार के लोग हमारे सम्बन्ध में अपनी धारणा निश्चित करेंगे।

श्रीमान, आपने मास्को में मेरी नियुक्ति की चर्चा की है। हम महात्मा गांधी के महान् नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। राजनैतिक संघर्ष को समाप्त करने के दो उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि ऐसा प्रहार किया जाये कि विपक्षी पराजित हो जाये, नष्ट हो जाये और आप का प्रभुत्व स्थापित हो जाये। यह शक्तिप्रयोग का उपाय है। एक उपाय और भी है। वह यह है कि यह समझा जाये कि विपक्षी अपने विश्वास पर क्यों अटल है और उसके क्या विचार हैं और इसके पश्चात् समझौते के लिये मार्ग निकालने के लिये प्रयास किया जाये। यह ज्ञान का उपाय कहा जाता है। इस देश में हम लोगों ने ज्ञान का उपाय अपनाने का संकल्प किया है। सोवियत रूस में मैं उस देश की नीति को समझने तथा उसका निर्वाचन करने और उन्हें अपनी नीति को समझाने तथा उसका निर्वाचन करने का प्रयास करूंगा। समझौते का मार्ग प्रशस्त करने में मेरा यही कार्य होगा। अध्यक्ष महोदय, आप की तथा इस सभा के अन्य सदस्यों की सद्भावना से मुझे अपने कार्य में अग्रसर होने के लिये बहुत शक्ति प्राप्त हुई है।

***अध्यक्षः** सभा कल प्रातः नौ बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् सभा बृहस्पतिवार तारीख 25 अगस्त, 1949 के नौ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।
